खूनी रविवार

2019

13–15 दिसम्बर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में
पुलिस क्रूरता13–15 दिसम्बर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस क्रूरता

नागरिकता (संशोधन) एक्ट क्या है ?

नागरिकता (संशोधन) एक्ट क्या है ? नागरिकता (संशोधन) बिल 2016 (सीएबी 2016) 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को सौंपा गया जिसने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और संसद में चर्चा के लिए विधेयक की सिफारिश की। तीस सदस्यीय समिति में से नौ सदस्यों ने बिल पर अपनी असहमति दी।

बजट सत्र में 8 जनवरी 2019 को 16 वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में सीएबी 2016 को चर्चा के लिए रखा गया था। इसे लोकसभा में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए ने संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित करा लिया। इसके बाद 9 जनवरी को राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा गया, उस दिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा बिल पर हाउस में कार्यवाही का बोलबाला था, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा था। अगले आम चुनाव की तैयारी में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने के साथ ही सीएबी खत्म (समाप्त) हो गया।

9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में सीएबी 2019 को पारित किया गया और बारह घंटे की बहस के बाद पक्ष में 311 मतदान हुआ और इसके खिलाफ में 80 मत । उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई और पारित हुआ, जिसमें 125 मत इसके पक्ष में और 105 इसके विरुद्ध थे। इस बिल प्रवर(सेलेक्ट) समिति के पास भेजने के प्रस्ताव के खिलाफ राज्यसभा ने 124 मतों के इसे खारिज कर दिया। वॉयस वोट द्वारा विपक्ष के द्वारा उठाए गए कई संशोधनों को भी सदन ने खारिज कर दिया। 12 दिसंबर, 2019 को विधेयक को राष्ट्रपति का आश्वासन मिला और वह सीएए बन गया। दो विधेयकों के प्रावधानों का एक तुलनात्मक खाका नीचे दिया गया है।

सीएबी 2016	सीएबी/सीएए 2019
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 (बी) में संशोधन कर श्रेणी 'अवैध प्रवासी' [धारा 2 सीएबी 2016, की व्याख्या को अपवाद बनाया गया।	नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 (बी) में संशोधन कर श्रेणी 'अवैध प्रवासी' [धारा 2 सीएबी 2016, की व्याख्या को अपवाद बनाया गया। सीएबी 2016 से अपरिवर्तित]
नागरिकता अधिनियम के तहत एक अवैध प्रवासी एक विदेशी है जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना प्रवेश किया है या ठहरने की अधिकृत अवधि को समाप्त कर लिया है। सीएबी 2016 की धारा 2 ने छह 'अल्पसंख्यक समुदायों'] हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को छूट दी, तीन देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के – 'अवैध प्रवासियों' की श्रेणी से। इन छूटों को सीएबी 2016 में बरकरार रखा गया था। 'अवैध प्रवासियों' की श्रेणी को धारा 3 डाला गया (जन्म द्वारा नागरिकता) और धारा 5 (पंजीकरण द्वारा नागरिकता) जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 डाला गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में असम के विशेष संदर्भ में 1985 में एक संशोधन के माध्यम से 'अवैध प्रवासी' श्रेणी को सम्मिलित किया गया था। अवैध प्रवासियों की श्रेणी से निर्दिष्ट समुदायों को छूट देकर, सीएबी को नागरिकता कानून के साथ जोड़ा गया जो केंद्र सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए कार्यकारी आदेश और नियम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 में बदलाव कर, और विदेशी अधिनियम 1946 में यह सुनिश्चित किया गया कि सीएबी 2016 में पहचाने गए समुदायों को इन दोनों अधिनियमों के तहत अवैध प्रवासियों के रूप में नहीं माना जाए। 7 सितंबर 2015 की गजट अधिसूचना ने पासपोर्ट अधिनियम और विदेश अधिनियम में बदलाव किए, छूट के लिए अवैध प्रवासियों की पात्रता की तारीख के रूप में 31 दिसंबर 2014 की कट–ऑफ तारीख पेश की।	

धारा 7D का संशोधन (विदेशी नागरिकता रद्द करने से संबंधित) [धारा 3 सीएबी 2016, सीएबी 2016 ने ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ा, और कहा अगर ओसीआई कार्डधारक ने उस समय नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया तो ओसीआई पंजीकरण वापस लिया जा सकता है।	नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D में संशोधन [धारा 4 सीएबी 2019, सीएबी 2016 की धारा 3 के समान है, एक प्रावधान को छोड़कर कि ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का आदेश पारित होने से पहले ओसीआई को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
भारत की नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन ताकि प्राकृतिककरण से संबंधित अवश्यकताओं में रहने की कुल अवधि को कम करने के लिय 'अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों' की पहचान कि धारा 1 सीएबी 2016 में 11 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। (धारा 4 सीएबी 2016)	भारत की नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन ताकि प्राकृतिककरण से संबंधित अवश्यकताओं में रहने की कुल अवधि को कम कर धारा 4 सीएबी 2016 के 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष [धारा 6 सीएबी 2019, कर दिया गया।
	एक नई धारा 6B (i, ii, ii) सम्मिलित करता है [धारा 3 CAB 2019, सीएबी के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों को पंजीकरण या प्राकृतिक. करण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त किया गया, जिसमें जिन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।
	एक नई धारा 6B (iv) सम्मिलित करता है [धारा 3 CAB 2019, असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया गए और "पूर्वी सीमा" के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बंगाल पूर्वी सीमा नियमन, 1873 के तहत अधिसूचित किया गया, जो नए खंड 6 बी के दायरे में है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में 13 से 15 दिसंबर 2019 को हुई पुलिस की बर्बरपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में PUDR की एक छह सदस्यीय टीम ने 16 से 19 दिसंबर 2019 तक चार दिवसीय जांच–पड़ताल की। ये बर्बरता एवं क्रूरता 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ चल रही विरोध प्रदर्शनों के बीच में हुई। जामिया के छात्र 12 दिसंबर से ही गेट 7 के बाहर शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। यह रिपोर्ट उसी दिन से हो रही घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से दस्तावेज करती है, क्योंकि इसी संदर्भ के अंतर्गत पुलिस क्रूरता को समझा जा सकता है। घटनाओं को फिर से (संगठित) समझने एवं तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए पी.यू.डी.आर. ने विश्वविद्यालय परिसर में कई छात्रों और वर्कर्स से बातचीत की, साथ ही साथ पड़ोसी क्षेत्रों की घटनाओं के चश्मदीद गवाहों से भी बात की गई। यह रिपोर्ट 13 से 15 दिसंबर तक परिसर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ होने वाली कई घटनाओं को कवर करती है, जो अलग. –अलग समय और स्थान पर हुई, लेकिन यह रिपोर्ट उस दिन होने वाले सभी घटना का पूरा विवरण प्रदान करने का दावा नहीं करती है। 9 अप्रैल 2000 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस की बर्बरता पर मई 2000 में पी यू डी आर की प्रकाशित रिपोर्ट, "खूनी रविवार: जामिया के छात्रों पर क्रूर हमला" को याद करते हुये, यह रिपोर्ट 15 दिसंबर 2019 के खूनी रविवार का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत प्रयास करती है।

12–13 दिसम्बर 2019 (गुरुवार और शुक्रवार)

गुरुवार 12 दिसंबर 2019 को रात 8 बजे तक, जामिया के सैकड़ों छात्र गेट 7 और 8 के बीच, कैंपस के बाहर मुख्य सड़क पर इकट्ठा हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। जिन छात्रों से हमने बात की उन्होने बताया की तकरीबन 700–800 छात्र एकत्रित थे। इससे पहले दिन में महिला छात्रों ने महिला छात्रावास में साथी छात्रों को सफलतापूर्वक जुटाया था। लगभग 8:30 या 9 बजे बारिश होने लगी थी लेकिन बड़ी संख्या में छात्र बाहर घंटों नारेबाजी करते रहे। कई छात्रों का मानना है कि यह ऐसा प्रदर्शन था जो पुलिस को छात्र एकजुटता की ताकत और शक्ति का आभास हुआ और यही अगले कुछ दिनों में होने वाली पुलिस हिंसा के लिए संदर्भ प्रदान करता है। उस दिन, होटल सूर्या के पास सामान्य दिनों की तरह सिर्फ एकमात्र पुलिस बैरिकेड मौजूद था।

अगले दिन, 13 दिसंबर 2019 को पहले जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन (JTSA) ने गेट 7 के बाहर दोपहर 2 बजे धरने के लिए कॉल दिया था, और उसी दिन दोपहर 3 बजे जामिया के छात्रों ने जामिया मेट्रो से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक मार्च करने का आह्वान किया था। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने कैंपस के पास होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने (जहां सड़क विभाजित होती है) 1 बजे से पहले नए बैरिकेड्स लगा दिए।

शिक्षक अपने धरने पर बैठने के लिए गेट 7 के बाहर एकत्र हुए और भाषण दिए। जिन छात्रों से हमने बात की, वे गेट 4 के बाहर दोपहर 3 बजे के आसपास छात्र मार्च में शामिल हुए, तब तक कुछ स्थानीय निवासी भी शामिल हो गए थे। होली फैमिली अस्पताल की ओर जा रहे जुलूस मोर्चे मे शामिल आगे की ओर चलने वाले अन्य छात्रों को पुलिस ने बैरिकेड पर रोक दिया था। थोड़ हे देर पश्चात छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, और सड़क के दूसरी तरफ बैरिकेड को धक्का देने में सफल रहे। पुलिस लाठियों से मारते हुये छात्रों को कैंपस की ओर धकेलने लगी। तुरंत ही आंसू गैस के गोले छात्रों के बीच मौजूद खाली जगहों पर फेंके गए। कुछ छात्र वापिस भागने लगे; अन्य लोग फिर से आगे भागे और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने जारी रखें, वह भी जल्दी–जल्दी एवं छात्रों के बहुत ही निकट।

आंसू गैस के गोलों की बौछारों के बीच, भीड़ में से किसी ने एक अविस्फोटित आंसू गैस के गोले को उठाया और पुलिस पर वापस फेंक दिया। इसे देखते हुए कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। एक गोला एक छात्र के हाथ में फट गया, जिससे उसका अंगूठा टूट कर अलग हो गया। जब उसे होली फैमिली अस्पताल ले जाया जा रहा था उसके दोस्त ने उसके अंगूठे के कटे हुए टुकड़े के साथ उसके पीछे जाने की की कोशिश की, ताकि डॉक्टर उसे जोड़ सकें, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं जाने दिया। उसका मित्र का चेहरा भी आंसू गैस के प्रभाव गंभीर चकतों और सूजन से भरा हुआ था।

दोपहर 3:30 या 4 बजे के आसपास, पुलिस ने गेट 7 तक सभी छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। भगदड़ जैसी

स्थिति थी और छात्रों के बीच हर जगह आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। शाम 4:30 बजे से लेकर लगभग 6 बजे के बाद तक, पुलिस ने गेट 1 की ग्रिल्स से भी परिसर के अंदर आंसू गैस के गोले दागे। कुछ छात्रों ने कहा कि जब भी पुलिस ने गोलीबारी की उन्होंने बंदूक की बैरल से आग की लपट को निकलते देखा । गेट 7 और 8 के पास कैंपस के अंदर परीक्षा देने वाले छात्रों को कई बार परीक्षा कक्ष छोड़ना पड़ा क्योंकि ठीक वहीं बाहर मुख्य सड़क पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। यहां तक कि परिसर के अंदर काफी दूर स्थित हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने भी आंसू गैस के कारण गले में जलन महसूस की।

आंसू गैस गोलों के बीच, पुलिस ने गेट 4 से बिना अनुमति लिए परिसर(कैम्पस) में प्रवेश किया और इंडियन बैंक के सामने छात्रों के साथ अंधाधुंध मारपीट की और वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों पर अपनी लाठियों का इस्तेमाल करते हुये तोड़ फोड़ की । आश्चर्य की बात ये है की पुलिस का कैम्पस में अनधिकृत (गैरकानूनी) प्रवेश और हिंसा का मीडिया ने कोई संग्यान नहीं लिया। स्थानीय निवासियों ने छात्रों से पुलिस द्वारा परिसर के पास सुखदेव विहार मोड़ खड़ी कारों की खिड़कियाँ तोड़ने की भी शिकायत की। उस दिन दर्जनों छात्रों चार नंबर गेट के बाहर से हिरासत में लिया गया (सही समय और संख्या स्पष्ट नहीं है) और बदरपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

एक छात्र आयोजक के अनुसार, उस दिन जामिया के 100 से ज्यादा छात्र घायल हुये थे। एक छात्र को हाथ में फ्रैक्चर और दूसरे को पैर में फ्रैक्चर के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कम गंभीर चोटों वाले कई छात्र उपचार के लिए अंसारी स्वास्थ्य केंद्र गए, लेकिन वहां पर मौजूद उपकरण बहुत ही अपर्याप्त थे। हमने जिन छात्रों से बात की, उनके अनुसार कुछ स्थानीय निवासियों ने भी उस दिन पुलिस पर पथराव किया।

लगभग 5:30 / 6 बजे तक, स्थिति शांत हो गई थी और महिला छात्रों सहित कई छात्र विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए वापिस बाहर की तरफ चले गए थे और विभिन्न समूहों ने घंटों तक जोरदार नारेबाजी की। पुलिस ने छिटपुट रूप से आंसू गैस के गोले फेंके और लाठियां चलाईं लेकिन छात्रों ने बाहर रहकर नारेबाजी जारी रखी। दो महिला छात्र पुलिस के पास गईं और उनसे फिर से बैरिकेड से आगे बढ़ने इजाजत मांगी दिया जाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान कुछ राजनेता और मीडिया कर्मी प्रदर्शन भी स्थल पर पहुंचे।

शाम 6 / 6:30 बजे के आसपास, पुलिस ने गेट नंबर 7 के बाहर खड़ी एक पुलिस बस में कई छात्रों को हिरासत में लिया, लेकिन छात्रों ने बस का रास्ता रोक दिया और उसे जाने नहीं दिया। अंत में पुलिस ने बस के दरवाजे खोले और छात्रों को बाहर निकलने की अनुमति दी, सभीगाने गाते और नारेबाजी करते हुए बाहर निकाल गये । फिर बस को घूमा कर गेट नंबर 8 के बाहर सड़क के दूसरी ओर खड़ी कर दी गई।

जब वहाँ अंधेरा गहरा हो गया, तो प्रॉक्टर की टीम बाहर आई और छात्रों को अंदर जाने के लिए कहा, उन्हें यह बताया कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया है। छात्रों ने फिर धीरे–धीरे वापस जाना शुरू कर दिया, हालांकि कुछ लंबे समय तक भी रहे। जामिया के छात्रों ने उस दिन वीसी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहे।

उस रात लगभग 8 बजे सड़क पर यातायात फिर से खुल गया था। जिस एक छात्र से हमने बात की थी, उसने बताया की वह लगभग 10:30 बजे कैंपस से बाहर निकला था उसने विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1, जामिया मेट्रो, होली फैमिली और सुखदेव विहार कॉलोनी के गेट नंबर 4 पर काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को देखा। छात्रों ने उस दिन केवल दिल्ली पुलिस कर्मी को देखा था, उनमे रैपिड एक्शन फोर्स या सीआरपीएफ का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था।

14 दिसम्बर 2019 (शनिवार)

शुक्रवार की रात छात्रों को संदेश मिला जिसमें जामिया के छात्रों को शनिवार को दोपहर 12:30 बजे जामिया के बाहर से दिल्ली के विभिन्न समूहों द्वारा आयोजित, गृह मंत्री के घर की तरफ होने वाले मार्च में शामिल होने के लिए आग्रह किया था। लेकिन बाद में, छात्रों को अपने क्लास और हॉस्टल ग्रुप्स पर संदेश मिला कि जामिया छात्र मार्च से खुद को अलग कर रहे

हैं और शामिल नहीं होंगे, और इसके बजाय गेट नंबर 7 के बाहर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा।

जिन छात्रों से हमने बात की, वे दोपहर 12–12:30 बजे के आसपास गेट नंबर 7 पर गए थे। छात्रों के विभिन्न समुह परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर गोला बनाकर इकट्ठा हो गए और इसमें स्थानीय निवासी भी शामिल होते रहे। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, दोनों के पुतलों को जलाया गया और जनाजा निकाला गया। जामिया मेट्रो से प्रदर्शन की ओर जा रहे एक छात्र आयोजक ने भीड़ में कुछ लोगों को एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तब उसने रिपोर्टर की ओर से हस्तक्षेप किया। जब वह लोग वहाँ से चले गए, तो उस छात्र ने अपनी ओर से रिपोर्टर से माफी मांगते हुए कहा कि वह उन लोगों को जामिया के छात्र या यहाँ के निवासी के रूप में नहीं पहचानता, वह संभवतः कहीं और से आए थे। जब वह गेट 7 पर पहुंचा, तो उसने छात्रों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि भीड़ का व्यवहार जामिया की छवि को धूमिल कर रहा है।

जिस छात्र और अन्य छात्र नेताओं / आयोजकों से हमने बात की उनका कहना था की उस दिन विरोध–प्रदर्शन करने आए बाहरी लोगों की संख्या से वे भी चिंतित थे, क्यूंकि इससे पहले कभी भी इतनी संख्या मे लोग नहीं आये थे। जो कैंपस के बाहर मार्च करने के लिए इकट्ठा हुए थे उसमे से कुछ प्रदर्शनकारी उन लोगों पर दबाव बना रहे थे, लेकिन छात्र नेताओं ने कई मौकों पर इस दबाव का विरोध किया, जिसमें उन्होंने जोर दिया कि वे बिना पूर्व योजना के कहीं भी मार्च नहीं करेंगे। कुछ छात्रों ने सड़क के एक तरफ भीड़ को कम करने के लिए गेट नंबर 7 से गेट नंबर 4 तक भीड़ का नेतृत्व किया और उन मुद्दों पर भीड़ को संबोधित किया जिनके बारे में वे विरोध कर रहे थे।

लगभग 7 बजे, छात्र संगठनों ने उस दिन विरोध प्रदर्शनों में आने वाले बाहरी लोगों की संख्या के बारे में अपनी आशंकाओं और चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक आम सभा की बैठक की। उन्होंने उस दिन की तनावपूर्ण स्थिति जो छात्रों ने सामना किया और बाहरी लोगों के दबाव को देखते हुए यह अगले दिन, रविवार को, वे परिसर के अंदर छात्रों द्वारा छोटे नियंत्रित विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। उन्होंने अगले दिन प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए छात्रों के आई–कार्ड देखने पर भी विचार किया। रात 9 बजे, उन्होंने मीडिया को एक संदेश प्रसारित किया कि शनिवार का विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है ताकि बाहरी लोग तितर–बितर हो जाएं क्योंकि पुलिस उन्हें नहीं हटा रही थी। छात्रों ने मार्च के लिए 17 और 19 दिसंबर को संभावित तारीखों पर चर्चा शुरू की।

हालांकि उस दिन पुलिस के बैरिकेड्स होली फैमिली अस्पताल के पास मौजूद थे, उसके बावजूद नजदीकी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र (सीसी) में जाने की अनुमति दी जा रही थी, जहां छात्रों के खाने का एक लोकप्रिय हब है। शनिवार को ही, दिसंबर में होने वाली परीक्षाएं जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गईं और शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया।

15 दिसम्बर 2019

द रैली

रविवार को हुई रैली की जानकारी को जामिया मिलिया के छात्रों, अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों और आसपास की कॉलोनियों के निवासियों के लोगों के साथ किए गए साक्षात्कार को एक साथ मिला कर प्रस्तुत किया गया है।

इस सभा के लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई थी। ज्यादातर लोगों को या तो एक दूसरे से या फिर सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी। शुक्रवार को हुई लाठीचार्ज एक तत्काल संदर्भ बना और जो लोग इसमें भाग ले रहें थे उन्हें लगा की छात्रों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए बल प्रयोग के खिलाफ एक संदेश भेजने की आवश्यकता है। रविवार होने के कारण इसमें कई कामकाजी लोगों भी भाग ले सके ।

दोपहर करीब 12 बजे मुख्य द्वार (गेट नंबर 7) पर लोग इकट्ठा होने शुरू हुये। घंटों तक नारेबाजी होती रही। साथ की कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों से इस सभा में शामिल होने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा था और छात्र इस सभा मे प्रस्तावित पैन–इंडिया एनआरसी के बारे में निवासियों से बात कर रहे थे। इस सभा मे सभी उम्र के लोगों की हेस्सेदारी थी।

दोपहर 3 बजे तक, कुछ अनुमानों के मुताबिक इस सभा में कुछ हजार से लगभग दस हजार स लोग मौजूद थे।

सभा ने लगभग 3:30 बजे रैली का रूप ले लिया और जुलेना चौक की ओर बढ़ने लगी। रैली का कोई पूर्व–निर्धारित मार्ग नहीं था जिसकी घोषणा की गई हो और हमने जिन लोगों से बात की थी उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रैली कहाँ जा रही है। यह माना जा रहा था कि या तो यह सूर्या होटल के पास पुलिस बैरिकेड तक जाएगी या फिर एक राउंड लेकर वापस आ जाएगी। कई छात्र मुख्य द्वार पर बने रहे और रैली का हिस्सा नहीं बने।

लगभग 4 बजे रैली सूर्या होटल के पास पुलिस बैरिकेड पर पहुंची। वहाँ पुलिस की पर्याप्त उपस्थिति थी और रैली ने पुलिस से 50 मीटर की दूरी बनाए रखी। इस स्थान पर लोग कई मिनट तक इंतजार करते रहे और इस बीच कुछ लोग सड़क पर भी बैठे गए। शाम 4:30 बजे से पहले रैली ने पुलिस बैरिकेड को बायपास कर दिया था और माता मंदिर रोड की एक ब्रांच(शाखा) सड़क के माध्यम से मथुरा रोड की ओर जाते पाये गए थे और रैली के अगले सिरे पर मौजूद कुछ लोगों ने सड़क पर यातायात को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। इसी मथुरा रोड है दो व्यक्तियों को गोली लगी, एक को छाती और एक को पैर में चोट आई। NDTV चौनल द्वारा एकत्रित और प्रसारित किए गए दो वीडियो में छोटे आग्नेयास्त्रों (फायरर्म्स) चलाते हुए तीन पुलिसकर्मी और एक भागते हुए प्रदर्शकारी को गोली लगते दिखता है। एनडीटीवी पर एंकर द्वारा यह कहा भी कि सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने दो रोगियों को गोली लगने और उनके घायल होने की पुष्टि की है। मथुरा रोड पर एक बस को जलाया भी गया, हालांकि इसके समय का सत्यापन नहीं किया जा सका। कुछ दिनों बाद तक भी, इस जली हुई बस को माता मंदिर रोड से लगभग 200 मीटर दूर मथुरा रोड के फुटपाथ पर देखा जा सकता था।

इस बीच जुलूस में शामिल अधिकांश लोग शाम साढ़े चार बजे माता मंदिर रोड पर पहुंच रहे थे। कुछ छात्रों ने सभी तरफ से महिलाओं को बचाने के लिए हाथ पकड़ मानव श्रृंखला बनाने का काम किया। इस बीच कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर नमाज अदा करने के लिए विराम लिया। इस सड़क पर आवागमन रुक गया था। इसी समय के आसपास जो प्रदर्शनकारियों मथुरा रोड के करीब पहुँच गए थे वो पीछे की ओर भागना शुरू कर दिया क्योंकि सामने से पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया था और भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी बरसना शुरू हो गए थे। आंसू गैस से कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस और बसों की दिशा में पथराव करते देखा गया था। जिन छात्रों से हमने बात की, उनमें से एक उन पथराव करने वालों पर चिल्लाया और उन्हें रोकने की कोशिश भी की। उसने यह भी बताया कि पत्थर फेंकने वालों में पड़ोसी क्षेत्रों से कई उपद्रवी थे। जिन महिला छात्रों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वे पुलिस से बचने के लिए छोटी गलियों से होते हुए वापिस विश्वविद्यालय की ओर तेजी से चल पड़ीं। इस बीच पुलिस लगातार भीड़ की तरफ बढ़ रही थी और जो भी सामने पड़ रहा था उसे पीट रही थी। उस समय की तस्वीरों से साफ दिखता है जिसमें बुरी तरह से चोट खाए हुए एक व्यक्ति सड़क पर गिरा है और दो महिला छात्रायें उसे बचाने के लिए ढाल बनी हुई है क्योंकि पुलिस उस व्यक्ति पर और अधिक लाठी बरसाने का प्रयास कर रही थी।

सड़क किनारे खोमचा चलाने वाले लोग, मंदिर के लोग और सड़क की तरफ खुलने वाले घरों के गेट के पहरेदारों ने हमें बताया कि भीड़ में बहुत कम छात्र शामिल थे जो पुलिस लाठीचार्ज शुरू होने के बाद जल्दी से वापस कैंपस की ओर भाग गए थे। रैली के कारण लगे जाम में दो बसें फंस गई थीं। एक बार लाठीचार्ज शुरू होने के बाद, बसों में सवार लोग जल्दी से उतर गए थे। रैली से कुछ लोगों ने बसों पर पत्थर और ईंट के टुकड़े फेंके। उनमें से कुछ लोगों ने सड़क पर एक घर की दीवार के साथ खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। मोटरसाइकिल के साथ लगे पेड़ का ऊपरी हिस्सा नीचे की जमीन जलने की गवाही देते हैं। हालांकि, मोटरसाइकिल के जले हुए अवशेष जली हुए बसों में से एक के पीछे पाये जाते हैं। फुटपाथ के दूकानदारों का मानना है कि दोनों बसों को आग लगाने के लिए अन्य मोटरसाइकिलों का तेल इस्तेमाल किया गया होगा। माता मंदिर मार्ग से सटी जामिया रोड पर एक और जली हुई बस को देखा जा सका । इस घटना का कोई गवाह उपलब्ध नहीं मिला था लेकिन वहां के दूकानदारों ने वहाँ की दुकानों और या सड़क के किनारे

खड़ी कई कारों को कोई नुकसान न होने की पुष्टि की है। हम जिन छात्रों से भी मिले उन्होने भी अच्छी खासी दूरी तय करने के पश्चात काफी दूर से धुआं देखने की पुष्टि की ।

कैंपस के बाहर सड़कों से भीड़ को तितर–बितर करते हुए, शाम 5:30 बजे तक पुलिस ओखला रोड की तरफ चली गई जो विश्वविद्यालय को उससे विभाजित करती है। हिंसा से भाग रहे छात्रों ने परिसर में शरण ली थी। इसके तुरंत बाद, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचित किए बिना, गार्डों को धमकाते और दरवाजों पर लगे तालों को तोड़ते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में नए सिरे से परिसर में प्रवेश किया।

महिला होस्टल और कैम्पस का दक्षिणी ओर

लगभग शाम 5 बजे सुखदेव विहार के पास मार्च पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की खबर कैंपस में पहुंची। शाम 5:30 बजे, परिसर के अंदर जाने के लिए बहुत सारे छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों के बीच एक भगदड़ जैसी स्थिति थी, यहाँ तक कि गेट 13 पर भी यही स्थिति थी । गेट पर गार्ड परिसर के अंदर के छात्रों को निर्देश दे रहे थे की वे और आगे बढ़ जाए ताकि अन्य छात्र अंदर प्रवेश कर सकें। मैगी प्वाइंट (गेट नंबर 8 के काफी अंदर) पर बैठे छात्रों को मगरिब की अजान (सूर्यास्त के तुरंत बाद) की आवाज सुनाई देना अचानक बीच में ही बंद हो गई, और बाद में अन्य छात्रों से पुलिस द्वारा जबरन एस. आर. के. मस्जिद में घुस कर इमाम की पिटाई के बारे मे पता चला इस बीच आंसू गैस गोलीबारी और तीव्र हो गई और यह अब हर 5 से10 मिनट के अनल मे हो रही थी। छात्रों का यह भी दावा है कि स्टन बम / ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि वे इससे निकलें वाली बिजली की चमक देख सकते थे।

शाम 6 बजे तक, मैगी प्वाइंट बंद हो गया और बाहर से आ रहे छात्रों / स्थानीय निवासियों की भीड़ परिसर के अंदर आ गई और लगातार दूसरों को अंदर जाने के लिए कहती रही। छात्रों को अपने दोस्तों की मदद के लिए फोन आने लगे जो की कैंपस में ही कई अन्य जगहों पर फंसे हुए थे।

एक छात्र, जिससे हमने बात की उसे अपनी मित्र दोस्त से कॉल आया था कि वह आंसू गैस के गोले के कारण दूसरों छात्रों के साथ गेट नंबर 4 पर फंसी हुई थी। वह गेट नंबर 8 से बाहर निकल कर मदद के लिए गेट नंबर 4 पर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पत्थरबाजी और पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके जाने के कारण किसी भी गेट के नजदीक जाना बेहद मुश्किल हो गया था। उसने गेट नंबर 8 के मध्य रास्ते फिजियोथेरेपी विभाग के पास परिसर के अंदर आंसू गैस और पुलिस को देखा, लेकिन वह किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब रहा ।

शाम के लगभग 6:30 बजे अपने दोस्त के साथ कैंपस के गेट नंबर 8 की तरफ लौटते हुए, उसने बड़ी संख्या में पुलिस को कैंपस के अंदर छात्रों के उपर लाठीचार्ज करते हुये देखा। एक स्कूली लड़की (9 वीं या 10 वीं कक्षा) कैंपस के अंदर दौड़ रही थी और रो रही थी, कह रही थी "भैया बहुत मारा"। वहाँ बड़ी संख्या में घबराए और भयभीत छात्र थे जो एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड छात्रों कौ कोचिंग हॉस्टल के पीछे के गेट से जाने की सलाह दे रहे थे। शाम 7 बजे तक, लगभग कोई भी छात्र या प्रदर्शनकारी बाहर नहीं मौजूद थे। फिर कैंपस के अंदर से पथराव शुरू हो हुआ। स्थानीय निवासियों को भी लाठियों के साथ पीछे के प्रवेश द्वार से परिसर के अंदर घुसते हुये और बाहर निकलते देखा गया।

पुरुष छात्रों ने महिला छात्रावासों में आश्रय मांगा। लगभग 7:30 बजे, महिला छात्रों ने घायल पुरुष छात्रों को अपने हॉस्टल के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। बेगम हजरत महल (BHM) की प्रोवोस्ट घायल पुरुषों को अंदर लाने की इजाजत नहीं दी। महिला छात्रों ने फिर भी एक घायल पुरुष अंदर रख लिया, जिसे बाद में J&K छात्रावास में भेज दिया गया, जो मुख्य परिसर के बाहर आधा किलोमीटर दूर स्थित महिलाओं का एक और छात्रावास है।

J&K हॉस्टल के प्रोवोस्ट ने भी शुरू में मना कर दिया था, लेकिन महिला छात्रों ने फोन पर प्रोवोस्ट को बताया कि वे उसकी बात नहीं सुनेंगी और घायल पुरुषों को अंदर करने के लिए वहां खड़े वार्डन और केयरटेकर को मनाने लगीं। केयरटेकर भी रोने लगा। गेट नंबर 8 के पास कैंटीन चलाने वाला व्यक्ति भी वार्डन और केयरटेकर से यह कहते हुए की

'बहन जाने दो , मदद करो, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं ' हॉस्टल अंदर लेने की दुहाई करता रहा, और जब वह नहीं माने तो तनाव में आ कर उन्हें गालियां देने लगा। महिला छात्रों ने आखिरकार कई घायल लोगों को J&K हॉस्टल की पहली मंजिल पर ले जाकर अंदर की रोशनी बंद कर दी और छात्रावास में मौजूद अन्य महिला छात्रों से कहा कि उन्हें प्राथमिक उपचार देने का प्रबंध करें। इसके बाद वे महिला छात्र फिर नीचे गईं और जानने वालों या फिर जो बुरी तरह से घायल लग रहे थे उन्हें प्रवेश देती रहीं। एक समय के बाद, जब बहुत सारे पुरुष प्रवेश कर चुके थे और जिसमें कई सारे स्थानीय निवासी थे, J&K छात्रावास में प्रवेश बंद कर दिया गया।

कई छात्र 108 डायल करके एंबुलेंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एंबुलेंस को भी कैंपस में प्रवेश करने से रोका जा रहा था, लेकिन शाम लगभग 7:30 बजे से अंदर जाने में कामयाब रहीं। गंभीर रूप से घायल एक छात्र, जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे, जैसे–तैसे कुछ लोगों द्वारा एक मोटर साइकल पर उस वक़्त J&K हॉस्टल में लाया गया था, उसे बेगम हजरत महल गेट पर खड़ी एंबुलेंस को जे एंड के हॉस्टल गेट पर बुला कर उसमें रखा गया एम्बुलेंस के जाने से पहले, एक छात्र J & K छात्रावास की पहली मंजिल पर गया जहाँ घायल छात्र छिपे हुए थे और उनसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के बारे में पूछा। फिर उसने खुद एक घायल छात्र को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए नीचे उतारा लेकिन वह घायल छात्र एम्बुलेंस को देख इतना डर गया कि वह भागने लगा। छात्रों की पूरी भीड़ घायल छात्र को यह समझाने लगी कि यह एक एम्बुलेंस है और वह सुरक्षित रहेगा। उस एम्बुलेंस में J&K छात्रावास से कुल तीन घायल छात्रों को निकाला गया था। एम्बुलेंस ने लगभग 7:30 बजे परिसर छोड़ा।

लगभग उसी समय, एक छात्र जो केंद्रीय पुस्तकालय में फंसे अपने एक दोस्त की मदद के लिए गेट नंबर 13 को पार करने की कोशिश कर रहा था, उसने पुलिस द्वारा गार्ड को बुरी तरह से पीटते हुए देखा, और गेट 13 की ओर से लगभग 1000 से 1500 पुलिसकर्मियों की एक पुलिस रैली को बाटला हाउस की ओर बढ़ते हुए देखा । आसपास की मुख्य सड़क पर भी लोगों को पीटा जा रहा था। कैंपस के बाहर की हिंसा में फंसे तीन छात्रों को गेट नंबर 1 से घुसने की कोशिश करने वक़्त, 8–10 पुलिसकर्मियों ने उस वक़्त देख लिया जब पुलिस विश्वविद्यालय मैं घुसने की कोशिश कर रही थी और उनकी पिटाई शुरू कर दी। उनके साथ एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। इन तीन में जो एक महिला छात्र थी उसको सबसे बुरी तरह से पीटा गया था। पुलिस उसे मारने से पहले एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन फिर जब उसका स्कार्फ देखा तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो छात्र वहाँ से भागे और किसी तरह डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट पहुंचे और वहां कुछ देर के लिए छिपे रहे। इसके बाद उन्होने सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर18 तक रिक्शा लिया। वहां मौजूद गार्ड कैंपस का गेट नहीं खोल रहा थे क्योंकि वहां कई स्थानीय लोग मौजूद थे। स्थानीय लोग उस समय पीछे हट गए जब उन्हे पता चला कि वहाँ मौजूद तीन छात्र परिसर के अंदर जाना चाहते हैं। वो तीनों पुरुष छात्रावास पहुंचे और तब तक छिपे रहे जब तक की वार्डन ने आ कर उन्हें वह जगह छोड़ने के लिए कहा। फिर वे जाकर ललित कला विभाग में छिप गए। वहां के एक गार्ड ने उनकी मदद की और उन्हें बताया कि वे एंबुलेंस में छिपकर अपने हॉस्टल तक पहुंच सकते हैं। उस गार्ड को भी पुलिस ने पीटा था।

रात 8 बजे तक कैंपस के बाहर सड़क पर मीडिया की मौजूदगी बढ़ गई थी। जामिया मेट्रो से गेट नंबर 4 की ओर जाने की कोशिश कर रहे एक छात्र को दो बार रोका गया और वहाँ से जाने के लिए उसे पुलिस को यह कहना पड़ा की वह हिन्दू है। इस समय तक, पुलिस की उपस्थिति काफी कम हो गई थी। छात्रों को खबर मिली कि कुछ पुलिस कर्मी बाटला हाउस/गफ्फार मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं और उस इलाके के तीन पुलिस चौकियों को जला दिया गया है। तब तक ज्यादातर छात्र परिसर के अंदर ही थे, जिससे इन छात्रों को लगा कि केवल स्थानीय निवासियों ने ही चेकपोस्ट को जलाया होगा। पी यू डी आर ने इन चेकपोस्टों में से दो का दौरा किया और एक चेकपोस्ट में एक खिड़की के जले अवशेष देखे, इसके अतिरिक्त सब कुछ सही था, और फर्श / दीवारों पर काले निशान और दूसरे में जलने गंध थी।

लगभग 8:30 बजे, छात्रों के बार–बार बुलाने पर एंबुलेंस मस्जिद और परिसर के अन्य हिस्सों में फंसी महिला छात्रों को लेने के लिए चक्कर लगाने लगीं। लगभग 9 बजे, कुछ पुलिस

अधिकारी जे एंड के हॉस्टल के दरवाजे पर आए और पूछा कि क्या कोई घायल पुरुष छात्र अंदर है। जिस पर वार्डन किसी पुरुष छात्र की मौजूदगी से इंकार किया। जहाँ घायल लड़के छिपे थे उधर छात्रों ने दरवाजे को बाहर से बंद कर रखा था और कमरों और गलियारों की रोशनी बंद कर दी थी। वार्डन ने छात्रों को बताया कि पुलिस ने कहा है कि वे दुबारा तहकीकात करने रात 11 बजे आएँगे और अगर यहाँ कोई पुरुष हुआ तो वे पुरुषों और महिलाओं के साथ अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं करेंगे। हालांकि, पुलिस वापस नहीं आई।

रात 11:30 बजे के बाद भी कई वैन और एंबुलेंस चक्कर लगाती रहीं। प्रॉक्टर ने एक संदेश भेजा की यदि कोई कहीं फंस गया हैं तो उसे फोन पर सूचित करें वह वहाँ वैन भेज देगा। जे एंड के हॉस्टल से घायल लोगों को लेने के लिए एक एम्बुलेंस 12:30 बजे रवाना हुई क्योंकि इससे पहले वे जे एंड के हॉस्टल से पुरुषों को बाहर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। गफ्फार मंजिल के स्थानीय निवासियों ने जामिया के साथ जुड़ी हुई गई दीवार के साथ सीढ़ी लगाई, ताकि जो छात्र घायल नहीं हुए थे, वे उस दीवार पर चढ़ कर परिसर से बाहर निकल सकें।

परिसर का उत्तरी हिस्सा : पुस्तकालय और मस्जिद

शाम 6 बजे के आसपास मगरीब के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल ने, जो दंगा नियंत्रण साधनों से लैस थे, जिसमें कुछ सिविल कपड़े के साथ भी शामिल थे, मुख्य कैंपस की इमारत पर गेट नंबर 7 (कैंपस का मेन गेट) से, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी और कैंपस मस्जिद के बीच से, और क्रिकेट ग्राउंड के सामने गेट 4 कि तरफ से धावा बोला। 16 दिसंबर 2019 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलपति नजमा अख्तर के अनुसार पुलिस एवं अन्य बलों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश किया था। जांच–पड़ताल के लिए गई टीम ने गेट नंबर 4 और 8 पर जबरन प्रवेश के संकेत देखे। घटना के समय मौजूद दोनों गेटों पर तैनात के गार्डों ने कहा कि लगभग 50–60 वर्दीधारी पुलिस बल (कुछ सिविल कपड़ों में) जबरन गेट से प्रवेश करने का प्रयास किया। जब गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गेट पर लगे ताले और चेन को तोड़ दिया, गार्ड को लातें मारी और उनपर हमला भी किया और साथ ही गार्ड के कमरों की खिड़कियों को तोड़ दिया। जबरन घुसने के बाद उन्होंने तुरंत सीसीटीवी कैमरों की तलाश की, और इनमें से एक गेट के कैमरों को तोड़ दिया और उन्हें अलग–अलग दिशाओं में कर दिया। सिविल कपड़े मे एक अधिकारी जो क्रिकेट ग्राउंड कि तरफ वाले के गेट से प्रवेश हुआ वह गार्ड के हाथों पर बार–बार मार रहा ताकि उसके हाथ से वॉकी–टॉकी गिर जाए, लेकिन गार्ड ने उसे मजबूती से पकड़े रखा और गिरने नहीं दिया। दोनों गार्डों से हमने बातचीत की और उन्होंने कंधों और पीठ पर चोट की बात कही, और ये भी बताया कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए पुलिस बल से गुहार लगाई और कहा की वे भी पूर्व सैनिक हैं, लेकिन पुलिस बल ने कोई रहम नहीं दिखाई। क्रिकेट ग्राउंड वाले गेट पर मौजूद गार्ड पिछले 19 वर्षों से विश्वविद्यालय में काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले उसने कभी भी इस पैमाने पर हिंसा नहीं देखी थी। उसने कहा कि लगभग 18–19 साल पहले, जामिया परिसर में छात्रों पर एक ऐसा हमला हुआ था, लेकिन उस समय गार्डों को बख्शा गया था।

इन तीन द्वारों से प्रवेश करने के बाद, पुलिस बलों ने अंदर और बाहर जाने के रास्तों को बंद कर दिया, पॉलीटेक्निक भवन के क्षेत्र के आसपास के सभी रास्तों पर, जाकिर हुसैन पुस्तकालय तक कब्जा कर लिया। जिन छात्रों से हमने बात की, उनका अनुमान था कि इस दौरान 1000–2000 वर्दीधारी कैंपस में मौजूद थे, हालाँकि हम सही संख्या सुनिश्चित करने में असमर्थ रहे।

इसके बाद वहाँ मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों (छात्रों और अन्य जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे) ने बताया कि पुलिस बल को भी जो भी रास्ते में दिखा उन पर अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पुरुष और महिला छात्र, कर्मचारी जैसे की गार्ड और अन्य कर्मी इत्यादि। ये हिंसात्मक कारवाई पॉलिटेक्निक भवन, पुस्तकालय (नए और पुराने भवनों), पुस्तकालय के बाहर बाथरूम और गेट के बाहर मस्जिद के आसपास तक फैल गई। ये क्रूर हमले, आंसू गैस और लाठीचार्ज विशेष रूप से पुस्तकालय और मस्जिद के अंदर हुए।

एक छात्र जिससे हमने बात की उसने कहा कि शाम 6 बजे के आसपास, उसे अपने दोस्त का फोन आया, जो लाइब्रेरी के पास रुका हुआ था और वह विस्फोट की आवाज सुन सकता था। उस छात्र ने बताया कि वह किसी तरह पिछले गेट से कैम्पस में प्रवेश करने में कामयाब रहा और वाणिज्य विभाग की इमारत की ओर गया। जब वह वाणिज्य विभाग और केंद्रीय कैंटीन के बीच था, एक आंसू गैस का गोला उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पर गिरा और विस्फोट हो गया, और लगभग 2 मिनट तक वह एकदम सुन्न सा हो गया और जोरदार विस्फोट के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वह थोड़ा संभला और भागना शुरू किया, तो उसने देखा कि वह कई अन्य छात्रों से घिरा हुआ है, जो बिलकुल घबराई हुए स्थिति में थे, और इस अफरातफरी में एक और आंसू गैस का गोला उसके पास आकर गिरा। वहाँ उसने अपने दोस्त को देखा और लाइब्रेरी की ओर भागा, जहाँ दोनों ने फैसला किया कि उन्हें कैंपस से बाहर भाग जाना चाहिए। जब वे डिप्लोमा भवन की ओर बढ़ रहे थे, जिसके नजदीक ही उनका एक फ्लैट था, उन्होंने लगभग 6:30 बजे पुलिसकर्मियों को छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज करते देखा। ये देखकर उन्होंने अपना रास्ता बदला और मस्जिद की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ते में अन्य छात्रों से सुना कि वहाँ भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उन्होंने दीवार फांद कर भागने का का विचार किया, लेकिन वहां भी पुलिस बल तैनात थी। अंत मे वे पुस्तकालय की ओर भागे।

जाकिर हुसैन पुस्तकालय शाम को बंद हो जाता है, और केवल पढ़ने वाले कमरे (रीडिंग रूम) खुले रहते हैं। रीडिंग रूम में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। अब कई छात्र डर से छिपने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे और लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस छात्र से हमने बात की, उसने अपने दोस्त के साथ निचली मंजिल स्थित रीडिंग रूम में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वह पूरा भरा हुआ था और अंदर से बंद भी था। वे फिर पहली मंजिल के पीएचडी स्कॉलर ब्लॉक की ओर भागे, जहाँ लगभग 70–80 छात्र अध्ययन कर रहे थे, और फिर कुछ अन्य लोगों के साथ वहाँ शरण ली, जो पहले से ही हमले में घायल थे। वे खिड़की से नीचे देख पा रहे थे कि जो छात्र भागने में असमर्थ थे, उन्हें पीटा जा रहा था। पुलिस ने करीब 20 छात्रों को पुस्तकालय के सामने जमीन पर लिटा दिया था और लगातार लाठियों से उनकी पिटाई कर रहे थे। पुस्तकालय के छात्रों के साथ ही साथ, नजदीक के इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन के वर्कर्स से बातचीत से ग्राउंड फ्लोर और लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर घटी घटना का जायजा लगाया जा सकता है। हमने अल–शिफा अस्पताल में भर्ती हुए छात्रों के परिवार और दोस्तों से बात की, जिनसे पुस्तकालय में हुई घटना का ऐसा ही विवरण सुनने को मिला।

ग्राउंड फ्लोर पर, पुलिस ने रीडिंग रूम की खिड़की पर लगी जाली और शीशों को तोड़ा, और जहां छात्र पढ़ रहे थे, और उसके अंदर कई राउंड आंसू गैस छोड़ी। अपनी जांच–पड़ताल के पहले दिन, हमने भी टूटे हुए फर्नीचर, खाली पड़े आंसू गैस के गोले, कलम आदि को खिड़की के माध्यम से फर्श पर इधर–उधर पड़े हुए देख रहे थे और बाहर की तरफ टूटी हुई खिड़की और बिखरे हुए काँच भी देखे जा सकते थे। जब वे लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए, तो उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर और अंदर में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी तारों को तोड़ दिया था और फिर फर्नीचर को तोड़ा। यहाँ पुरुष और महिला दोनों छात्र मौजूद थे। पुलिस पुरुष छात्रों पर जब लाठीचार्ज कर रही थी तब महिला छात्रों नेउनको बचाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन महिला छात्रों को भी मारना शुरू कर दिया, तब वो सब महिला वॉशरूम में भाग गये। एक छात्र ने हमें पुलिस का एक वीडियो लाइब्रेरी की खिड़कियों को तोड़ते हुए दिखाया जो लॉन की तरफ से बनाया गया था। उस वीडियो में पुलिस पार्क में छात्रों को एक लाइन में घुटने के बल करके मारते हुए भी दिख रही है। तीन मिनट के इस वीडियो में छात्रों की भीड़ को पुस्तकालय से बाहर निकलते देख सकते हैं जिस पर पुलिस अंधाधुंध बिना किसी भेदभाव के लाठी चलाते दिखाई दे रही है।

पुलिस ने महिलाओं का वॉशरूम तक में पीछा किया और लाइट बंद कर दी गई। हमसे बात करने वाले छात्र के परिवार/ दोस्तों ने कहा कि कि वॉशरूम में उनके साथ क्या हुआ ये केवल महिलाएं ही बता पाएंगी। हम किसी भी महिला छात्र से बात नहीं कर सके जो उस समूह का हिस्सा थीं।

लगभग 7 बजे के आसपास, ऊपर की मंजिल में छिपे छात्र भी नीचे की ओर चल रहे आंसू गैस गोलों की आवाज और गंध

महसूस कर सकते थे। इससे बचने के लिए, छात्र पुस्तकालय के अंदर कई अलग–अलग दिशाओं में भागने लगे। कुछ ऊपर पीएचडी स्कॉलर के कमरे के दूसरी तरफ उस कमरे में चले गए जिसे काँच के पल्लों द्वारा विभाजित किया गया थाय कुछ लोग बाहर बाथरूम की ओर भागे, कुछ बिजली सब–स्टेशन के अंदर छिप गए, कुछ गेट से बाहर निकल कर मस्जिद की ओर भागे, जबकि कुछ ने लाइब्रेरी की छत पर भागने की कोशिश की। उस समय लाइब्रेरी के अंदर बीबीसी की एक महिला पत्रकार थी, जिसे उसके बालों से पकड़कर बाहर खींचा गया था।

पीएचडी स्कॉलर के कमरे के दूसरी तरफ के कमरे को अलग करने के लिए कांच के पल्लों की दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने से मना किया गया, क्योंकि कांच के टुकड़े उन्हे ओर क्षति पहुंचा सकते थे। तब वह बचने के अन्य रास्ते ढूंढने कोशिश में ईधर–उधर भागने लगे। जो लोग लाइब्रेरी के बाहर लड़कों के शौचालय के अंदर छिपे थे, पुलिसकर्मी उनके पीछे भागे। यहां, पुलिसकर्मियों ने क्यूबिकल्स के दरवाजे और अंदर लगे शीशे तोड़ दिए और छात्रों को बेरहमी से पीटा। कम से कम एक छात्र जिसके सिर पर बुरी तरह से मारा गया था उसका बहुत खून बह रहा था। सब–स्टेशन के वर्कर्स ने कहा कि इस समय के आसपास, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बिजली बंद कर दी कि उप–स्टेशन के अंदर छिपे हुए छात्रों को पुलिस खोज न पाये और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। जो लोग पुस्तकालय की छत पर भागने की कोशिश करने वाले वो अंधेरे के कारण ऐसा न कर सके।

कुछ समय बाद (संभवतः लगभग 7:30 बजे), पुलिस ऊपरी मंजिल पीएचडी स्कॉलर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। उन्हा. ंने तुरंत दो छात्रों को पीटना शुरू कर दिया जो दरवाजे के बगल में खड़े थे। उनमें से एक को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी बांह में तुरंत फ्रैक्चर हो गया था। छात्रों ने पुलिसकर्मियों से यह कहते हुए न पीटने की विनती की कि वे वहाँ सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सांप्रदायिक गालियां("जिहादी", "देशद्रोही", "कटवा") दीं, शुरू किया, और फिर लाइन में खड़ा किया और उन्हे अपने हाथों को सिर के ऊपर रख कर कमरे से बाहर आने के लिय कहा, जिसके बाद उन्हें सीढ़ियों पर बैठा दिया और उनकी पिटाई की। सांप्रदायिक गालियां जारी रखीं "तुम मुल्ले हो, कटवा हो, तुम्ही चोदेंगे, तुमारे 7 पुश्तों को चोदेंगे"। यहाँ तक की यौन हिंसा की भी धमकी दी।

थोड़ी देर के बाद, पुलिस ने छात्रों से कहा कि वे अपने सिर पर बैग रखें और लाइब्रेरी से बाहर निकलें, ताकि उनका मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करें यदि कोई परिसर के अंदर से पुलिस पर पथराव करने की कोशिश करता है। दो समूह थे, दोनों को पुलिस अलग–अलग दिशाओं में ले गई। पहले समूह में, एक छात्र ने अपनी चप्पल खो दी, इसलिए एक दोस्त ने उसे अपना जूता दे दिया और वह मोजे में ही चल दिया जब तक कि उन्हें परिसर में किसी की छूटी हुई चप्पल नहीं मिली। इस समूह को मस्जिद की ओर ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। कुछ छात्र मस्जिद में चले गए, कुछ मस्जिद के पीछे की गलियों में आवासीय क्षेत्रों के फ्लैटों में। दूसरे समूह को उनके सिर के ऊपर उनके हाथ रखवा कर मार्च कराते हुये सुखदेव विहार मेट्रो की ओर ले जाया गया। एक छात्र की इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, और उसका इलाज नोएडा के जेपी अस्पताल में किया गया, जहां रॉड डालकर इलाज किया गया।

हम उस छात्र के परिवार के सदस्य से मिले जिसका बायाँ पैर दो जगहों पर टूट गया था, जिसे अबू फजल एन्क्लेव के अल–शिफा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जिसका 17 दिसंबर 2019 को ऑपरेशन हुआ था। पुलिस कारवाई के समय वह पुस्तकालय की पहली मंजिल वाले हिस्से में था और 5 जनवरी 2019 को होने वाले UPSC परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था। वह परिसर के अंदर नहीं रहता है और दोपहर 2 बजे के आसपास पुस्तकालय में पहुंचा था। जब पुलिस पहली मंजिल के कमरे में घुस गई और छात्रों को अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया, तो उसने उनसे निवेदन किया कि वह विरोध में उपस्थित नहीं था क्योंकि वह एक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत में होने वाली समयबद्ध परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने उसे गाली देते हुए कहा, 'तुम्हें आजादी चाहिए? आजादी दिलाते हैं'। पहले उन्होंने उसके पैरों को लाठी से मारा और दोनों को तोड़ दिया, फिर उन्होंने उसे कॉलर से ऊपर की ओर खींचा और कहा, 'अब भाग'। उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके बाद उस ग्रुप के 10–12 लोगों ने उसे बार–बार मारा। जब अस्पताल में भर्ती हुआ, उसके कंधे, पीठ और पैरों पर चोट के निशान थे। अपने सिर को बचाने के लिए, उसने उसे अपने हाथों से ढक लिया था जिससे उसके हाथों पर चोट आयी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कलाईयां सूज गई थीं। उसकी पिटाई करने के बाद, पुलिस चली गई, और चूंकि अन्य छात्र भाग गए थे, वह वहाँ से उठ न सका। वह वहां तब तक पड़ा रहा जब तक कि वह पुलिस द्वारा छोड़ी गई एक लाठि का प्रयोग कर खुद को उठा कर सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा। दो छात्रों ने तब उसे देखा और उसे अपने कंधे पर लादकर होस्टल ले गए, जहाँ उन्होंने एक घंटे तक इंतजार किया। फिर उसे एम्बुलेंस में अल–शिफा ले जाया गया, जहां वे रात 8 बजे के आस पास पहुँचे। हमने उसका एक्स–रे देखा, जिसमें पता चला कि हड्डी का एक हिस्सा घुटने के नीचे से टूट गया था और घुटने के ऊपर चला गया था, और उसका घुटना पूरी तरह से ऊपर की ओर खिसक गया था।

रास्ते मेन इन छात्रों अन्य छात्रों को भी देखा जो ग्राउंड फ्लोर के रीडिंग रूम से भागने में असमर्थ रहे। ये सभी छात्र मस्जिद के सामने घुटने के बल हाथों को सिर के ऊपर रख कर एक लाइन में थे। मेट्रो स्टेशन के रास्ते पर जाते हुये, छात्रों ने देखा कि मीडिया कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया था, और इस कारण से वे अधिकारियों के और अधिक हमले से बच गए। उन्हें सुखदेव विहार के दोराहे पर तापरी के निकट छोड़ दिया गया।

जाकिर हुसैन पुस्तकालय में उन लोगों के अलावा, पुस्तकालय के इब्न सिना ब्लॉक में पढ़ने वाले और भी छात्र थे, जो जाकिर हुसैन पुस्तकालय और गेट नंबर 7 के बीच है, उन्हें भी पुलिस के क्रूर हमलों का सामना करना पड़ा। एक छात्र का फेसबुक पोस्ट बताता है कि वह उस दिन दोपहर बाद से इब्न सिना इमारत की दूसरी मंजिल में अपने एम.फिल साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहा था। शाम 4 बजे के बाद, कैम्पस में छोड़ी गई आंसू गैस के कारण वह कमरा धुएँ से भरना शुरू हो गया, जिसमें वह बैठा था और उसके तुरंत बाद, लगभग 40 छात्र कैम्पस मे छोड़ी जा रही आँसू गैस से बचने के लिये उस कमरे में आश्रय लेने के घुस आए। छात्रों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब पुलिस दरवाजे पर पहुंची और उसे तोड़ कर खोलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे पर मौजूद अधिकारियों ने कहा, 'कलिमा पढ़ लो ये तुम्हारा आखिरी वक्त है।' इसके बाद पुलिस अंदर घुस आई और फिर पुरुष एवं महिला छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दिया। छात्र अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी बताता है कि कैसे उसके माथे पर लाठी से मारा गया था, और लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा तब तक पीटा गया जब तक की उसको घसीट कर गेट 7 के बाहर लेकर नहीं लाया गया।

मस्जिद की ओर भागने वाले छात्रों के समूह का भी पुलिस ने पीछा किया। इमाम (जो पिछले 43 वर्षों से मस्जिद में काम कर रहे थे) और उनके बेटे के अनुसार, लगभग 35–40 पुलिस कर्मियों ने छात्रों का पीछा करते हुए मस्जिद में जबरन घुसने की कोशिश की। इमाम और उनके बेटे (2–3 अन्य लोगों के साथ) ने उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है, और वे लगातार लाउडस्पीकर पर छात्रों, नागरिकों और पुलिस से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने सांप्रदायिक दुर्व्यवहार किया और उन्हें

स्वर्ण मंदिर की घटना की याद दिलाते हुए ("स्वर्ण मंदिर याद है ना?") इमाम को लाठियों से पीटा एवं उनके साथ मौजूद 2–3 अन्य लोग जो दरवाजे पर थे उनको भी पीटा गया। इस दल में एक सिक्ख पुलिसकर्मी भी था जिसने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इमाम के बेटे पर शारीरिक हमला नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और लाउडस्पीकर पर घोषणाएं जारी रखने के लिए कहा गया। इमाम ने पिटाई के कारण अपने कंधे और बांहों पर लगातार दर्द की शिकायत की।

हालांकि वह पुलिस बलों को सामने वाले गेट से मस्जिद में बढ़ने से रोकने में सफल रहे, लेकिन एक बड़ा दल मस्जिद के पीछे (जहां इमाम का निवास है) की ओर बढ़ आया, जहां उन्होने फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े, और छात्रों को बेरहमी से पीटा। नमाज पढ़ रहे छात्रों की पिटाई की गई। मस्जिद की सीढ़ियों पर अभी भी खून था, और हमने यहां आंसू गैस गोले खाली खोल भी देखे। बहुत ही थोड़े समय में ही यहां कम से कम 4–5 आंसू गैस के गोले दागे गए। परिसर का यह हिस्सा आवासीय क्षेत्र के ठीक बगल में है जहां बड़ी संख्या में छात्र और मुस्लिम निवासी रहते हैं। पुलिस बल रिहायशी इलाकों में गई, लेकिन गलियों में नहीं गई और अपने रास्ते में आने वाली हर एक कार और सड़क के किनारे खड़े दोपहिया वाहनों पर अपनी लाठियों से प्रहार किया। एक व्यक्ति ने कहा की उस समय औसतन हर 4 मिनट में आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, जो उसे "युद्ध जैसी" स्थिति महसूस करा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अब तक कैंपस और रिहायशी इलाकों में व्यापक रूप से फैली गई थी, जो कि नूर नगर तक है।

बाद में रात को, एक बार जब हिंसा थम गई, उप–स्टेशन के वर्कर्स ने पुस्तकालय और मुख्य परिसर क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई छात्र बिना सहायता के वहां फंसा हुआ तो नहीं है। इसके दौरान, उन्हें पॉलीटेक्निक स्कूल से सटे पार्क में दो घायल छात्र मिलें जिनके पैरों और बांहों में फ्रैक्चर था, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया ।

परिसर(कैम्पस)

के बाहर पुलिस बल मुख्य परिसर से लगभग 8:30–9 बजे के आस–पास पीछे हटने लगी थी। इस समय तक, परिसर के करीब के अस्पतालों, जिसमें होली फैमिली, अल शिफा, क्रिबस इत्यादि शामिल हैं, में बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती कराया गया, और अधिक गंभीर चोटों के लिए सफदरजंग एवं एम्स में ले जाया गया जो परिसर से दूर हैं। उस समय तक पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने में लगभग 15 छात्रों और एक स्थानीय निवासी तथा कालकाजी पुलिस थाने में लगभग 34 छात्रों को हिरासत में लिया हुआ था। कारवाई का रुख अब कैंपस से बदल कर होली फैमिली और अल शिफा अस्पतालों, और पुलिस स्टेशन जहां छात्रों को हिरासत में लिया गया था की ओर हो गया था। इन तीनों जगहों पर हुई कारवाई का वृतांत को, एन एफ सी पुलिस थाने में बंद एक चश्मदीद गवाह का विवरण, दोनों पुलिस स्टेशनों में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के विवरण, सोशल मीडिया से प्राप्त अपडेट और हिरासत में लिए गए छात्रों में से एक का फेसबुक पोस्ट, को एक साथ जोड़ कर बनाया गया है । स्वतंत्र रूप से, हमने जिन लोगों से बात की, उनमें से कुछ ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने इन घटनाओं के बारे में अन्य लोगों से सुना है।

एक छात्र जो एन एफ सी पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया था, कैंपस के बाहर स्थित अपने निवास से उस दिन जामिया के लिए बाहर निकला था, जब उसे शाम के करीब 6 बजे दोस्तों से संदेश और कॉल आए की पुलिस कैंपस के अंदर घूस रही है और छात्रों को पीट (मार) रही है। वह घर पर आराम कर रहा था क्योंकि उस दिन की योजना कैंपस के अंदर हल्के विरोध प्रदर्शन करने की थी, यह देखते हुए कि पिछले दिनों की स्थिति काफी तनावपूर्ण रही थी, ।

कैंपस आने के दौरान वह केवल महारानी बाग बस स्टॉप तक ही पहुँचा था बाकी रास्ते के लिय उसे भागना पड़ा क्योंकि कैंपस के बाहर मुख्य सड़क तक ऑटो को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जब वह सुखदेव विहार मेट्रो पहुंचा तो पुलिस ने उसका वहाँ से भागा दिया । चूंकि वह कैंपस पहुंचने में असमर्थ था, वह होली फैमिली अस्पताल की ओर जाने लगा क्योंकि उसे व्हाट्सएप संदेश प्राप्त मिल रहे थे कि वहां कई छात्रों को मदद की जरूरत है।

होली फैमिली अस्पताल में, उसने दोस्तों सहित कई छात्रों के टूटे हुये हाथ और सिर पर चोटों के निशान देखे, जो उन्हें देखते ही तुरंत रोने लगे। जामिया की एक महिला कर्मचारी चिल्ला रही थी और रो रही थी कि वह एक विधवा है और वह अब पैसे कमाने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि उसके दोनों पैरों पर गंभीर चोटें आई थीं, और उसे बहुत सारी बैंडेज भी बँधी हुई थीं।

होली फैमिली में जो लोग छात्रों कि देखभाल कर रहे थे वह चाय और पानी इत्यादि का भी इंतिजाम कर रहे थे और छात्रों से मिलने के लिय कई सारे कार्यकर्ता और छात्र आते रहे। लगभग 9 बजे, दो लंबे आदमी होली फैमिली में लगातार आ और जा रहे थे और घायल छात्रों के नाम पूछ रहे थे। जैसे ही पुरुष अपरिचित दिखे, छात्रों ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, क्योंकि वे भी दावा कर रहे थे कि वो विश्वविद्यालय से हैं।

उन दोनों में से एक आदमी बाहर निकल कर पुलिस की जीप में बैठ गया, जबकि अन्य वहीं रुक कर छात्रों को कुछ गोलमोल जवाब दे रहा थे कि वह किसी से मिलने आया था। छात्रों ने पास खड़े एक पुलिसकर्मी से संपर्क किया, जिसने बाद में खुद को डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने का एस एच ओ बताया, और उसे उस आदमी को खुद की पहचान बताने के लिए कहा। अचानक, जब एक अन्य अलग हवलदार ने उस आदमी से आग्रह किया, तो उसने कहा, 'एक आदमी पर्याप्त नहीं है, और अधिक लोगों की फोर्स लेकर आओ।'

हवलदार वापस चला गया और दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों के साथ वापस लौटा, जिन्होंने दो छात्रों को एक तरफ खींच कर ले गए लिया, और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। छात्र की जैकेट फट गई और पुलिस ने तब उसे और उसके दोस्त को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, हालांकि दोस्त को पहले से ही काफी चोट लगी हुई थी। पुलिस ने दोनों को रात करीब 10 बजे पुलिस की जीप में डाल दिया। उसमें से एक अज्ञात आदमी छात्र के पास आया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, 'साला पुलिस से ही सवाल पूछता है।' जीप में भी दोनों छात्रों को लाठी से पीटा गया और गालियां दीं गई । एक पुलिसकर्मी ने कहा, 'सब नक्सली है,' और एक अन्य पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, 'नक्सली जेएनयू वाल होते हैं, ये आतंकवादी हैं।' दोनों छात्रों ने अनजाने में पुलिसकर्मी से पूछताछ करने के लिए माफी मांगी और रिहा करने कि विनती कर रहे थे, लेकिन उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस थाने ले जाया गया।

पुलिस थाने में, पुलिस ने उस छात्र का आई–कार्ड लिया जिससे हमने बात की थी, जो उसे कभी नहीं लौटाया गया, और उसकी एक फोटो खींची गई। हालांकि उन्होंने जब आई डी ले ली उसने रिहा करने के लिए कहा, एक पुलिस अधिकारी ने उसे लात मारी, जिससे वह गिर गया, और कहा कि '10 नंबर का जूता है, देख ले।' छात्र और उसका दोस्त उसके बाद एक कमरे में डाल दिये गए, जहां पहले से ही हिरासत में लिए गए 15 लोग थे, जिनमें से कई बुरी तरह से घायल थे। इससे पहले छात्र उस रात 8:30 बजे उस पुलिस थाने में आये थे यह पूछताछ करने कि क्या किसी को हिरासत में लिया गया है तो उस समय पुलिस ने नहीं कहा था। जब दो नए छात्रों को उस कमरे में धकेला गया, तब तक पहले ही हिरासत में लिए गए 15 छात्रों ने कहा कि वे कई घंटों से यहाँ है।

हिरासत में लिए गए इन 15 में से 13 जामिया के छात्र थे जिनमें से ज्यादातर को लाइब्रेरी से उठाया और पीटा गया था। एक शाहीन बाग का निवासी था, और दूसरा सादे कपड़ों में एक मुस्लिम CISF जवान था, जिसे पहले भीड़ ने पीटा था और फिर पुलिस ने। एक पुरुष कश्मीरी छात्र, जिसे एन एफ सी थाना में हिरासत में लिया गया था उसकी का फेसबुक पोस्ट बताती है कि जब वह पुस्तकालय में था, तो उसके सिर पर बार–बार बेरहमी से वार किया गया था, उसको सांप्रदायिक गालियां दी गई, लाइब्रेरी से गेटनंबर 7 तक के रास्ते में कम से कम 40–50 पुलिसकर्मियों ने उसकी बेंत से पिटाई की। गेट पर मौजूद एक पुलिस वैन के अंदर उसे 'आलू की बोरी' की तरह फेंक दिया गया, जहां वह 4 अन्य लोगों के साथ गिरा हुआ था, उसे ऐसा लगा कि शायद अस्पताल ले कर जा रहे थे। लंबे समय तक अंधेरे गलियों से गुजरने के बाद, उन्हें अंततः न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने ले जाया गया। यहाँ, उन्हें लगभग 2 घंटे के लिए एक कमरे के अंदर रखा गया, वहाँ उन्होंने मदद कि भीख माँगी, भोजन, पानी, चिकित्सकीय मदद जिससे उनके नाक से बहते खून रुक सके। इस पूरे समय में, उन्हें अपने मोबाइल फोन को दूर रखने के लिए कहा गया, लगातार गालियों बौछार जारी रही, ताना मारा गया कि 'क्या समस्या है तुम्हे सी ए बी(CAB) से', इत्यादि।

हमने एन एफ सी हिरासत में लिए गए जिससे बात की थी, भले ही उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी, फिर भी उसकी हालत पुलिस थाने में दूसरों लोगों से बेहतर थी। हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को वाशरूम के उपयोग करने या पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनके नाम पूछे जाने पर जब एक ने 'राहुल,' कहा तो जवाब में पुलिस ने उससे पूछा 'कन्हैया बनेगा क्या?' एक छात्र जिसेसे हमने बात की थी, वह एन एफ सी पुलिस थाने पर मदद के लिए जामिया के कोंटेक्टस में जमकर प्रचारित कर रहा था। थाना में पहले से ही हिरासत में लिए गए एक अन्य छात्र ने उससे कहा कि किसी से पता करो की क्या कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका लैपटॉप और पेनड्राइव लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

एक घंटे बाद, उसे जामिया के छात्रों से संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ कि वे पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। एक वकील को अनुमति दी गई जिसने बंदियों के नाम और नंबर लिये, लेकिन बिना पुलिस अधिकारी की मौजूदगी के हिरासत में लिए गए लोगों को उससे बात करने की अनुमति नहीं दी। SHO ने हिरासत में लिए गए किसी भी बंदी को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी। लगभग 11 बजे, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुलिस स्टेशन में आया। हिरासत में लिए गए छात्र ने उस दिन उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उनसे शिकायत की। वरिष्ठ अधिकारी ने उसे आश्वासन दिया और वहां से चला गए।

आधे घंटे बाद, जामिया के रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर कमरे के अंदर आए, उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें रिहा कराने आए हैं। आधी रात से कुछ समय पहले, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने हिरासत में लिए गए जामिया छात्रों को तुरंत रिहा करने के लिए, और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक एक अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए SHO कालकाजी पुलिस स्टेशन को आपातकालीन आदेश जारी किया।

लगभग 11:30 बजे, पुलिसकर्मियों ने बंदियों के एम एल सी (मेडिको–लीगल मामलों) की व्यवस्था शुरू कर दी। उन्हें बताया गया कि वे किसी से बात नहीं कर सकते, खासकर उनके एम एल सी के बारे में। उनका नेतृत्व करते हुए, पुलिस अधिकारी जमीन पर घायल लोगों के हाथ पकड़ रहे थे, और उन घायलों से चलने के लिए कह रहे थे। बंदियों को उनके एमएलसी के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, साथ में डिप्टी प्रॉक्टर और जामिया से एक अन्य प्रोफेसर थे। वे लगभग 1 बजे एम्स पहुंचे और लगभग 5 घंटे तक वहीं रहे जब तक एमएलसी किए जा रहे थे। सिर्फ अत्यधिक गंभीर रूप से घायल लोगों को स्ट्रेचर पर रखा गया था या जिन्हें कोई प्राथमिक उपचार दिया गया था, हालांकि अधिकांश लोगों को इसकी जरूरत थी। वहां बंदियों को पानी या भोजन कुछ भी नहीं दिया गया। लगभग 6 बजे सुबह, बंदियों को एम्स से छुट्टी मिलने पर उन्हें वापिस एनएफसी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अंत में लगभग 6:30 बजे, बंदियों को पुलिस स्टेशन से जाने की अनुमति दी गई।

रात के दौरान एनएफसी पुलिस स्टेशन में बंदियों की कुल संख्या लगभग 17 थी और कालकाजी पुलिस स्टेशन में 34। दोनों स्टेशनों पर हिरासत में लिए गए लोगों को लंबे समय तक वकीलों, परिवार के सदस्यों या सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, और उसके बाद केवल एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता को अंदर जाने की अनुमति दी गई। कई अन्य वकीलों ने बंदियों को कानूनी सहायता देने के लिए स्टेशनों के बाहर इंतजार किया।

पुलिस खाता

पुलिस ने अपनी कारवाई के लिए अलग–अलग विवरण दिए, उन्होने क्या किया और क्या नहीं किया, और इनमें से प्रत्येक के लिए अलग–अलग स्पष्टीकरण भी प्रदान किए, जिससे कुछ नए तथ्यों उभरे। पी यू डी आर ने 18 और 19 दिसंबर को कई बार जामिया नगर पुलिस स्टेशन और एन एफ सी पुलिस स्टेशन के एस एच ओ से मिलने की कोशिश की लेकिन एस एच ओ उपलब्ध नहीं थे। एन एफ सी पुलिस स्टेशन के अन्य अधिकारियों द्वारा पी यू डी आर को यह सूचित किया की एस एच ओ किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि केवल डी सी पी (दक्षिण पूर्व), चिन्मय बिस्वाल ही जामिया की घटना के संबंध में प्रश्नों को संबोधित करने के लिए अधिकृत हैं। पी यू डी आर ने डी सी पी (दक्षिण पूर्व) से सरिता विहार कार्यालय में उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। डी सी पी ने हालांकि इस मुद्दे पर ब्यान दिये हैं जिसको मीडिया में बड़े पैमाने पर कवर किया गया

है। इसलिए निम्नलिखित विवरण डीसीपी के रिपोर्ट किए गए बयानों, चिकित्सा दस्तावेजों, एफआईआर और न्यूज क्लिप्स को एकत्रित कर एक साथ प्रस्तुत किया गया है।

डीसीपी बिस्वाल ने दावा किया कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि दंगाइयों की भीड़ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रही थी। कैंपस के अंदर बिना अनुमति के प्रवेश का औचित्य यह बताया गया की कैम्पस के अंदर से हो रहे पथराव के बारे में पता लगाना था।

फायरिंग के बारे उभरते आरोपों के जवाब में, डीसीपी बिस्वाल ने स्पष्ट रूप से बंदूक और किसी भी प्रकार के गोली के इस्तेमाल की बात से इनकार किया। एक सवाल जो बार–बार उठ रहा था, कि क्या पुलिस ने फायर–आर्म्स, और बुलेट्स, या वैकल्पिक रूप में रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था, यह दोनों ही दावे गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा समर्थित थे।

प्रदर्शनकारियों और राहगीरों के गनशॉट के घाव के बारे में, डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने एक बयान में कहा कि आंसू गैस के गोले के छींटे लगने से चोटें लगी हैं, और ऐसी चोटें बंदूक की गोली के घाव से जैसे हो सकती हैं।उसने कहा की वैसे भी यह केस हिस्ट्री या प्राथमिक ब्यान मरीजों या जो उनके साथ हैं उनका है न कि किसी डॉक्टर का निस्कर्ष है। उसने कहा "मुझे आशा है कि हम सभी मेडिकल दस्तावेज पर 'कथित ब्यान (अलेजेड हिस्ट्री)'...का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है जो मरीज ने खुद से चोट के बारे में डॉक्टर को बताया जब वह इलाज करवाने आया। "

डीसीपी का स्पष्टीकरण होली फैमिली अस्पताल के निर्देशक, जॉर्ज पी ए की उस जानकारी(सूचना) से मेल नहीं खाती है कि: "दो स्थानीय व्यक्ति हैं, और दो पुलिस अधिकारियों को आज झड़प में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया।... जिसमें से एक व्यक्ति को बंदूक की गोली के घाव के साथ भर्ती कराया गया था और गोली को निकाल दिया गया है। "

डीसीपी से यह भी पूछा गया कि क्या सड़क के किनारे बुलेट के खाली खोखे पाए गए थे जैसा कि पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया है। पी यू डी आर को यह रिपोर्ट नहीं मिली है और ये सब अनुमान डीसीपी की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आए हैं। ध्यान देने योग्य है की, डीसीपी ने इस सवाल को पूरी तरह से नकारा नहीं। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस मामले की जांच की जा रही है, और वह एक चल रही जांच पर चर्चा नहीं कर सकते।

17 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी ने बंदूक की गोली के घावों के दावे झूठे हैं को दोहराते थे, हुए उस मेडिकल रिपोर्ट जिसमें बंदूक की गोली के घाव का जिक्र है, उसको भी उठाया। उन्होंने कहा कि "यदि", "यदि" को रेखांकित करते हुए, वास्तव में बंदूक की गोली के घाव हैं, तो "कौन जिमेवार है"/ हु इज रिसपोनसीबल? पुलिस इसकी जांच–पड़ताल करेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो पुलिस इसकी भी जांच करेगी कि मथुरा रोड पर शाम 4.15–4.20 बजे बंदूक की गोली का शिकार होने वाला व्यक्ति तत्काल आसपास के क्षेत्र के अस्पताल होली फैमिली या फोर्टिस अस्पताल में न जाकर बारह किलोमीटर दूर सफदरजंग अस्पताल जाने के लिए क्यों चुना? और एक घंटे बाद भर्ती हुआ। "यह भी संदेह का विषय है और हम इसकी भी जांच करेंगे"।

पुलिस की हिंसा के सबसे भयानक पहलुओं में से दो, कैंपस में छात्रों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागना और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की आज्ञा या जानकारी(सूचना) के बिना परिसर में घूसना था। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल क्यों किया गया, डीसीपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि "जो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति में आग लग रहे थे। उनको तितर–बितर करने के लिय आँसू गैस का इस्तेमाल किया गया"। लेकिन जब पूछा गया कि पुलिस ने परिसर में क्यों प्रवेश किया और 400 आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, जो 2012 के बाद से सबसे बड़ी संख्या है, डीसीपी ने जवाब दिया कि "... यह हिंसक भीड़, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर भी जा रही थी और अंदर से पत्थर भी फेंक रहे थे। इसलिए हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये पत्थर कहाँ से फेंके जा रहे हैं..." लेकिन सच्चाई ये है कि छात्रों द्वारा पढ़ने के कमरे और पुस्तकालय,

वाशरूम जिसे गैस से भर दिया गया या इतिहास और उर्दू विभागों जहां पुलिस द्वारा तोड़ दृ फोड़ की गई, से पत्थर नहीं फेंके जा रहे थे।

डीसीपी ने कहा कि दो एफआईआर दर्ज की गईं हैं, एक पुलिस स्टेशन जामिया नगर में और एक पुलिस स्टेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिसमें दस लोगों को दंगा और आगजनी के लिए गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने कहा कि उनमें से कोई भी छात्र नहीं है, लेकिन पड़ोसी क्षेत्रों के निवासी हैं, हालांकि जामिया नगर एफ आई आर में कुछ छात्रों को आरोपी के रूप में वर्णित क्या गया है। डीसीपी ने यह बताने से इनकार कर दिया कि पुलिस ने कैसे यह निष्कर्ष निकाला कि वे अपराधी थे, पुलिस ने उन्हें कैसे ट्रैक किया, या उनके खिलाफ क्या सबूत थे। गृह मंत्रालय ने एक बयान दिया है कि पुलिस द्वारा बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड थे; और कई "असामाजिक तत्वों" की खोज करने की चेतावनी दी, एफ आई आर में मौजूद आरोपों की व्यापक प्रकृति ने अधिकारियों को उनके खिलाफ विशेष आरोपों के बिना भी कई अन्य लोगों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाया है। रिपोर्ट में 50 नामित छात्रों और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर में उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

पुलिस के बदलते बयानों, कवर–अप करने कि प्रक्रिया अपनों को बचाने का प्रयास और जामिया में की गई क्रूरता की सभी जवाबदेही से बचने का प्रयास, यह सभी बातें एक एसे परिणाम की ओर इशारा करते हैं, जहां पुलिस का निरपराध बचना तय है।

परिणाम

सोमवार की सुबह को जेएमआई प्रशासन ने 6 जनवरी 2020 तक का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया, और सभी निवासियों को छात्रावास छोड़ने की सलाह दी गई। कई लोग पिछली देर रात से छोड़ना शुरू कर चुके थे और सोमवार से सभी नियमित रूप से परिसर से बाहर जाने लगे, क्योंकि वे खुद घबराए हुए थे, और उनके परिवार वाले चिंतित होकर उनको कॉल कर घर वापस आने के लिए कह रहे थे।

16 दिसंबर 2019 को एसएचओ उपेंद्र सिंह ने जामिया नगर पीएस में 7 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ धारा 143, 147, 148, 149, 180, 253, 332, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 IPC और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जो कि 15 दिसंबर की 3:30 बजे की घटनाओं से संबंधित थी। सात नामित संदिग्ध इस प्रकार हैं:

1. आशु खान, स्थानीय राजनेता, निवास स्थान – अबू फजल, जामिया नगर,

2. मुस्तफा, स्थानीय राजनेता, निवास स्थान – अबू फजल, जामिया नगर,

3. हैदर, स्थानीय राजनेता, निवास स्थान – अबू फजल, जामिया नगर,

4. आसिफ खान, पूर्व विधायक, निवास स्थान – अबू फजल, जामिया नगर,

5. चंदन कुमार, एआईएसए, जामिया विश्वविद्यालय, निवास स्थान – जामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर,

6. आसिफ तनहा, एसआईओ, जामिया विश्वविद्यालय, निवास स्थान – जामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर,

7. कासिम उस्मानी, सीवाईएसएस, जामिया विश्वविद्यालय, निवास स्थान – जामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है कि सात संदिग्ध लोग रैली का नेतृत्व कर रहे थे, और छात्रों के बीच एनआरसी और सीएबी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। उसी दिन, एनएफसी थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी,

लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद, हमें इसकी प्रति नहीं मिली और इसमें क्या लिखा है इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई।

बाद में 16 दिसंबर की रात को पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और मीडिया में दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कोई भी छात्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में 17 दिसंबर 2019 को कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान ने जामिया की हिंसा के संबंध में 10 लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये हैं: मोहम्मद हनीफ, दानिश उर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश, यूनुस खान, जुम्मन, अनल हसन और अनवर काला। ये 10 व्यक्ति जामिया नगर एफआईआर में नामित व्यक्तियों से पूरी तरह से अलग हैं, और हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि इनका नाम एनएफसी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है या नहीं।

बाटला हाउस के निवासियों के साथ हमारी पूछताछ में पता चला कि पुलिस सोमवार रात 16 दिसंबर, 2019 को 9:30–10:00 बजे के आसपास उनकी कॉलोनी में आई थी और वहां से 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया था। एक दानिश, पिता का नाम आरिफ, उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिक, और दूसरा शरीफ उर्फ बादशाह खान, पिता का नाम ताज मोहम्मद, जिसकी लगभग आयु 32 वर्ष है। हम किसी तरह दोनों के परिवार से बात कर पाये।

हम मोहम्मद आरिफ से उनके पारिवारिक घर पर मिले, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। उनका एक कमरे का घर है जिसमें दुकान भी है। उन्होंने कहा कि दानिश एक प्लम्बर है और उसके 2 भाई हैं, जिनमें से 1 फट–फट सेवा(गाड़ी) चलता है और 1 बहन जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। सोमवार रात करीब 8 बजे वह डिनर के बाद बाहर गया जिसके पश्चात दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके परिवार को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी, उन्हें पड़ोसियों से ही पता चला। आरिफ ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में फोन किया लेकिन उसकी कॉल अटेंड नहीं की गई। गिरफ्तारी के बाद से दो दिनों तक, वह चिंतित था क्योंकि वह अभी भी अपने बेटे को ट्रैक करने में सक्षम नहीं था। आरिफ ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास उनके बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और वह रविवार को किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी दिनेश मीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जो कॉलोनी में उन्हें और अन्य लोगों को नियमित रूप से परेशान करता रहा है। इसके पहले भी दानिश पर बंदूक रखने और एक लड़की से बलात्कार के जैसे झूठे आरोप लगाये गये थे, लेकिन दोनों मामलों में बरी कर दिया गया था। जामिया नगर पुलिस स्टेशन में अधिकारी के खिलाफ दर्ज शिकायत की तस्वीर (मोबाइल पिक्चर) प्रदान की गई है।

हम शरीफ के परिवार से भी मिले, जिन्होंने कहा कि वह एक ड्रग एडिक्ट है, और जिस समय दानिश को गिरफ्तार किया गया था उसी वक्त पुलिसवालों द्वारा इसे भी गिरफ्तार किया गया। परिवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई, लेकिन इन्हें भी पड़ोसियों से पता चला। उनके परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शरीफ को कहां ले कर गए हैं, और उसके पास पुलिस स्टेशन जा कर उसके बारे में पूछताछ करने का कोई साधन भी नही है और अब उसके बारे में खोजबीन करने में अपमानित होना है।

16 दिसंबर 2019 को जामिया के छात्रों / पूर्व छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जामिया और एएमयू में बीती रात हुई पुलिस क्रूरता के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करने के लिए याि चका दायर की। बेंच ने पहले प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का हवाला देते हुए मामले को सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अगले दिन सुनवाई के लिए इसे पोस्ट कर दिया। 17दिसंबर 2019 को, CJI की अध्यक्षता वाली तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने घटनाओं को देखने के लिए एक विशेष समिति गठित करने से इनकार कर दिया, और याचिकाकर्ताओं को संबधित उच्च न्यायालयों में जाने के लिय कहा गया।

19 दिसंबर 2019 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और न ही सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश या सबूत को नष्ट करने से रोकने के लिय कोई आदेश पारित किया। मामले को 4 फरवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

20 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय परिसर में एक तथ्यात्मक खोज की और पुस्तकालय, शौचालय आदि के आस–पास निरीक्षण किया। अभी उनकी रिपोर्ट आने की प्रतिक्षा है।

मुख्य खोज एवं निष्कर्ष

दिल्ली पुलिस द्वारा 13 दिसंबर 2019 को छात्रों पर की गई कार्रवाई 15 दिसंबर 2019 की घटनाओं की पृश्ठभूमि है

दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों को 13 दिसंबर को संसद तक मार्च आयोजित करने से रोकने के निर्णय के तुरंत बाद एक अत्यधिक क्रूर बल और अंधाधुंध लाठीचार्ज का उपयोग किया गया था। यह मामला छात्रों को पुलिस बेरिकेड के पीछे धकेलने तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसकी आड़ में, उनका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाना था। पुलिस बल ने आस–पास खड़े वाहनों को भारी क्षति पहुंचाई और कथित तौर पर लगभग 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया। छात्रों का सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो रुका नहीं, इस कार्रवाई ने बाद के विरोध प्रदर्शनों में विश्वविद्यालय के पड़ोस के छात्रों और अन्य निवासियों की बड़ी मात्रा में मौजूदगी को सुनिश्चित किया। कैम्पस के नजदीक पुलिस बलों अत्यधिक मात्रा ने अधिक हिंसक हमले के लिए रास्ता तैयार किया।

दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर 2019 को विष्वविद्यालय परिसर के बाहर और अंदर छात्रों और प्रदर्षनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया

मथुरा रोड के पास से ही पुलिस की कार्रवाई क्रूर थी। हमें प्रदर्शनकारियों को रोकने या पीछे हटने के लिए घोषणा करने के किसी भी प्रयास का कोई सबूत नहीं मिला। लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग अविश्वसनीय और क्रूर था, भीड़ जो कि खुद ही तितर–बितर हो रही थी परंतु इस तरह की क्रूरता उसके बाद भी जारी रही। प्रदर्शनकारी जो पीछे हट रहे थे उन पर हमला किया गया और जो घायल हुए थे वे और अधिक हमले के शिकार हुये। बिना आज्ञा और बिना आवश्यक

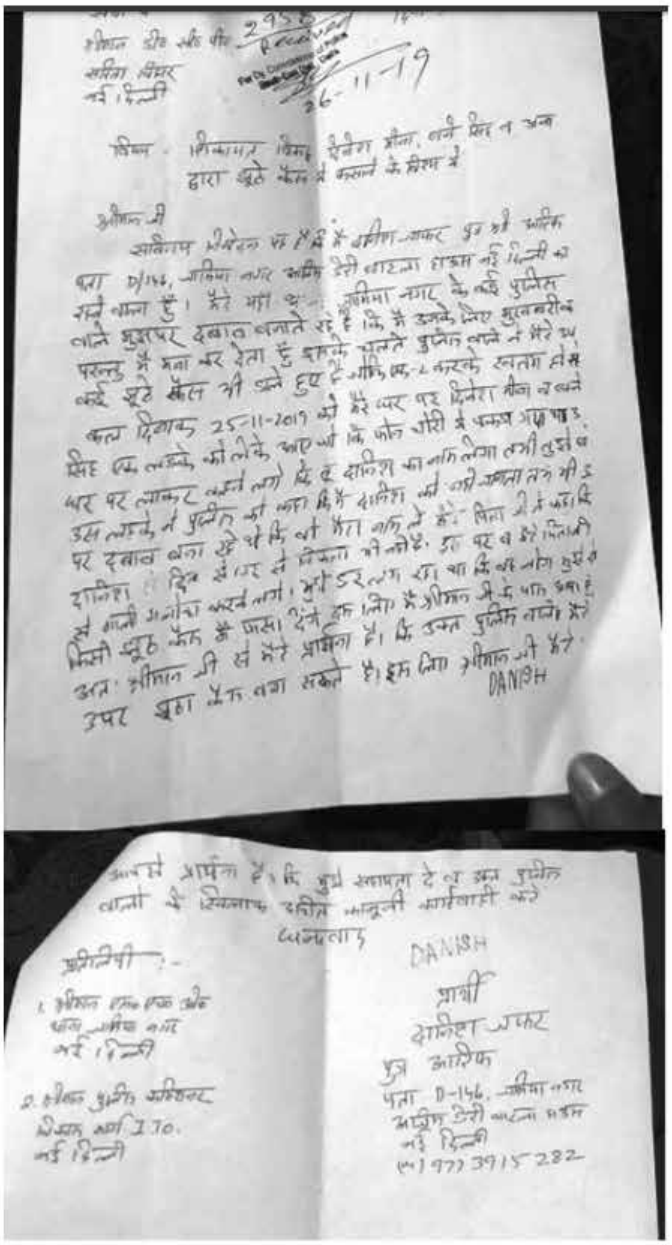

सुरक्षा उपायों के पुलिस द्वारा लाइव राउंड के साथ आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया। इससे अधिक गंभीर बात यह है की वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा इस गंभीर अपराध को नकारना और उस पर पर्दा डालना और भी अधिक गंभीर है।

दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पुस्तकालय, मस्जिद और विष्वविद्यालय परिसर के अन्य हिस्सों में छात्रों और कर्मचारियों पर बेवजह और क्रूर हमले किए

परिसर में पुलिस का प्रवेश बिना किसी आधिकारिक आज्ञा के था और यहां तक कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचित भी नहीं

किया गया था। उनकी इस विफलता को उन बयानों द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों का पीछा कर रही थी। इस तरह पुलिस ने पुलिस पार्टी के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी की आवश्यक उपस्थिति को रोक दिया है।

कैम्पस के अंदर, उसके गेट पर, पुस्तकालय और रीडिंग रूम (वाचनालय) में पुलिस बल द्वारा सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करना पुलिस बल के इरादे का स्पष्ट प्रमाण है की उनका यह कार्य वर्जित और दंडनीय अपराध के समान है।

परिसर के अंदर गार्ड, छात्रों, इमाम और अन्य कर्मचारियों पर हुये हमले अंधाधुंध थे। मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ सांप्रदायिक गालियों के बीच सभी को पुलिस की लाठी से गंभीर पिटाई की गई। आंसू गैस के अत्यधिक प्रयोग ने कैम्पस में सभी को प्रभावित किया।

पुस्तकालय, रीडिंग रूम और मस्जिद में प्रवेश; और वहां के छात्रों पर हमला; यह बताता है की जानबूझकर कर विरोध प्रदर्शन से नहीं जुड़े (असंबद्ध) व्यक्तियों और पुलिस के हमले से खुद को बचाने का प्रयास करने वालों को निशाना बनाया गया।

पुलिस द्वारा की गई इस तरह की क्रूरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लोगों पर लाठियों से हमला किया गया विशेष रूप से सिर, चेहरे और पैरों के पिछले हिस्से पर। इस्तेमाल किया गया बल गहरे घाव और हड्डी के फ्रैक्चर का कारण बनने के लिए पर्याप्त था, और चोटों की प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि वे अधिकतम नुकसान करना चाहते थे। इस प्रकार, चोटों के कारण अक्षम हुए छात्रों के साथ और अधिक दुर्व्यवहार किया गया। येसा प्रतीत होता है कि हमला करने का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय और पड़ोसी क्षेत्रों को आतंकित करना था।

अवैध हिरासत और जानबूझकर चिकित्सीय सहायता से इनकार करना

हिरासत पूरी तरह से मनमाना था। पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए कई लोगों को पुलिस थानों में लाया गया। कम से कम एक वर्णन से पता चलता है कि छात्रों को इस कारण हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होने पुलिस से सवाल किए। हिरासत में लिए गए लोगों को लंबे समय तक परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने से रोका गया था। जब कुछ लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों के पास जाने की अनुमति दी गई थी, तब उनसे सभी लेखन सामग्री और फोन को ले लिया गया था ताकि हिरासत में लिए गए लोगों का वकालतनामा न हो सके या पुलिस हिरासत में उनकी चोटों की तस्वीरें न दर्ज हों।

हिरासत में लिए गए कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन नियम कि अवहेलना करते हुए , हिरासत में लिए गए लोगों को चिकित्सा सहायता से वंचित रखा गया। अस्पताल तभी जा सके जब हिरासत में लिए गए लोगों को या रिहा कर दिया गया या फिर उन्हें एमएलसी के लिय अस्पताल ले जाया गया। घायलों को जानबूझकर चिकित्सीय सहायता से वंचित किया गया इसके कई और संगीन उदाहरण हैं। जिसमें घायलों को अस्पताल में क्या इलाज दिया जा रहा है उस इलाज की रिपोर्ट गायब करना, एंबुलेंस को घायलों तक पहुंचने से रोका जाना और चिकित्सकीय सहायता लेने वालों को धमकाया जाना शामिल है।

संपत्ति का विनाश

इस दिन विश्वविद्यालय के संपत्ति की व्यापक क्षति और विनाश को देखा गया, विशेष रूप से पुस्तकालय में।

सार्वजनिक बसों में आगजनी की घटनाओं की जांच की जरूरत है क्योंकि विश्वसनीय वर्णन नहीं आ रहे है और इसमें विरोधाभासी सबूत और बयान भी काफी हैं।

विरोध रैली के कुछ लोग एनएफसी क्षेत्र में खड़ी निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाने और एक मोटरसाइकिल की आगजनी के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों ने इस कारवाईयों को रोकने और शांति बनाए की कोशिश की।

13 और 15 दिसंबर को जामिया परिसर में और उसके आसपास छात्रों और अन्य निवासियों के वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस जिम्मेदार है।

कैम्पस में प्रवेश करने वाला पुलिस दल सीसीटीवी कैमरे, शीशे की खिड़की और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संपत्ति और साथ–साथ कई छात्रों के सेल फोन को नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

एकत्र किए गए तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण हैं की उच्च न्यायपालिका दिल्ली पुलिस की क्रूरता के खिलाफ स्वयं संज्ञान लें ।

पुलिस द्वारा हमले की क्रूरता और उसका पैमाना, विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश, तोड़ फोड़ और क्षति, साथ ही नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना अपने आप में पर्याप्त है कि इन घटनाओं के लिए उच्च न्यायपा. लिका स्वयं संज्ञान ले और चिकित्सा मदद सुनिश्चित करने और पुलिस बलों के इस तरह के व्यव्हार की जाँच के लिए उचित दिशा–निर्देश जारी करें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ऐसा करने का अवसर मिला, क्योंकि मामला उनके सामने लाया गया था, लेकिन दोनों ने तुरंत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तथ्यों के निर्धारण के लिए पहली कोर्ट नहीं है, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

उत्तेजक कारक

जामिया कैम्पस के आसपास के क्षेत्र के निवासियों में पुलिस के ऊपर अत्यधिक अविश्वास है। पुलिस के प्रति यह अविश्वास पिछली कई घटनाओं का परिणाम है। इस रिपोर्ट में वर्णित मौखिक गालियां उसी का एक प्रतिबिंब है। इस ऐतिहासिक स्थिति ने निश्चित रूप से पुलिस द्वारा की गई बर्बरता और निवासियों द्वारा किए गए पथराव में योगदान दिया है। 15 दिसंबर का पुलिस आचरण इस अविश्वास को और मजबूत कर सकता है।

जामिया में छात्र संघ की कमी का मतलब यह है कि आधिकारिक रूप से यहाँ कोई संस्था नहीं है जो किसी भी योजना, नियंत्रण और विरोध प्रदर्शनों को निर्देशन देने की जिम्मेदारी ले । इसका अर्थ यह भी है कि पुलिस के साथ संपर्क के लिए कोई भी छात्र प्रतिनिधि नहीं था। यह कमी ऐसे मामलों को रोकने और उस पर काबू पाने के प्रयास में बहुत बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

पीयूडीआर की मांग

- विरोध करने के नागरिकों के अधिकार को अपरिहार्य रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और प्रतिदिन अनुमति देने से मना करने की प्रकिया को रोकना चाहिए।
- जामिया मिलिया इस्लामिया में परिसर के अंदर सैन्य बल के क्रूर उपयोग के लिए पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
- दिल्ली पुलिस द्वारा अनधिकृत, अनुचित और बल के अत्यधिक उपयोग एवं सामानों को नुकशान करने के कृत्य की जांच करने के लिए एक जांच आयोग बनाया जाए।
- जामिया क्षेत्र में पुलिस स्टेशनों पर तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण का मुकाबला करने और एक लोक सेवक के रूप में नागरिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। छात्रों पर हमले का हिस्सा रहे पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को बिना देर किए थाने से बाहर किया जाना चाहिए।

संसद और लोग

सीएए–विरुद्ध आंदोलन

☐ लोकसभा में सीएबी की पेशी के बाद से, बिना बहस के संसद में इसके फास्ट–ट्रैक से गुजरने के बाद और विपक्ष के हाथ से बाहर करने के बाद, सीएए को वापस लेने के लिए पूरे देश में कई विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों पर तीव्र दमन, पुलिस की क्रूरता और मुस्लिम कॉलोनी पर चिन्हित हिंसा शामिल हैं। उनके विशाल स्तर और प्रसार को देखते हुए, प्रमुख घटनाओं की निम्नलिखित सूची है जो आवश्यक रूप से अधूरी है, फिर भी उम्मीद के संकेत मिलते हैं :

☐ 4 दिसंबर: असम में विरोध प्रदर्शन

☐ 10 दिसंबर: अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में इंटरनेट बंद

☐ 12 दिसंबर: असम में कर्फ़्यू लगा और इंटरनेट बंद पीआईबी ने निजी उपग्रह टीवी चौनलों को सलाह देता हुये उन्हें 'राष्ट्र–विरोधी' सामग्री प्रसारित करने से रोकने की बात कही।

☐ मणिपुर और मेघालय में इंटरनेट बंद

☐ 13 दिसंबर: CAA के ऊपर मलेरकोटला (पंजाब) में बंद संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन सहित कुछ चुनिंदा देशों में पूर्वोत्तर में यात्रा के लिए यात्रा के लिय सलाह जारी जापान पीएम अपनी भारत यात्रा को रद्द कर देते हैं।

☐ 13–22 दिसंबर: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन(जारी)

☐ 13–22 दिसंबर: यूपी में इंटरनेट बंद(जारी) 1

☐ 4 दिसंबर: लुधियाना में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

☐ 5–16 दिसंबर: जामिया और एएमयू में पुलिस की क्रूरता के जवाब में विश्वविद्यालयों, शहरों और कस्बों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। लखनऊ के नदवा विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शनों के कारण झड़पें हुईं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करतीं हैं।

☐ यूपी के मेरठ, अलीगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।

☐ 16 दिसंबर: पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन। पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है और पुलिस पिकेट क्षतिग्रस्त होती है।

☐ 18 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट ने 59 याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के कार्यान्वयन को रोकने से इनकार कर दिया और सुनवाई के लिए अगले दिन 22 जनवरी 2020 निर्धारित किया। बेंगलुरू में तीन दिनों के लिए सेक्शन 144 लगाया गया।

☐ 19 दिसंबर: श्री राजीव गौड़ा, राज्य सभा के सदस्य और अन्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बैंगलोर में 144 लगाने की चुनौती दी।

☐ 9 दिसंबर: बड़े पैमाने पर देशव्यापी प्रदर्शन। सेक्शन 144 दिल्ली के कुछ हिस्सों और यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों और शहरों में लगाया गया। प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों सहित सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। मैंगलोर में पुलिस फायरिंग में दो मौतें प्रदर्शकारी ने इंडिया गेट, दिल्ली में खुद को लौ में सेट किया। उर्दू लेखक, मुजतबा हुसैन का कहना है कि वह अपना पद्म श्री वापस करेंगे।

☐ दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण से इनकार कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी 2020 को तय कर दी।

☐ कर्नाटक में मंगलु# शहर और दक्षिण कन्नड़ जिले में इंटरनेट बंद।

☐ गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया

☐ 20 दिसंबर: दिल्ली गेट/दरियागंज और सीमापुरी में मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली में पुलिस की बर्बरता लाठीचार्ज, तोड़–फोड़, मुस्लिम घरों पर और प्रदर्शनक. ारियों पर पथराव। चिकित्सा और कानूनी सहायता के

बिना नाबालिगों को रात भर हिरासत में रखा गया।

☐ इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगाई

☐ 1 दिसंबर: हैदराबाद में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

☐ उत्तर प्रदेश के रामपुर में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन बंद

☐ 1 दिसंबर को मंगलु# 3 – 6 पीएम में कर्फ़्यू में ढील दी गई लेकिन यह 23 दिसंबर से लागू होने वाली रात और कर्फ़्यू (धारा 144) के दौरान जारी रहेगा।

☐ मध्य प्रदेश में उनकी कथित कार्रवाई के लिए शुक्रवार (20 दिसंबर) को लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया; जबलपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ़्यू लगाया गया

☐ सीमापुरी (उत्तर पूर्वी दिल्ली) में विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 11 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया

☐ भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

☐ हरिद्वार, उत्तराखंड में धारा 144 लागू; 23 दिसंबर तक लखनऊ में जारी रहेगा इंटरनेट बंद

☐ दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी में यूपी भवन के बाहर 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया; चेन्नई पुलिस ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

☐ दरियागंज, पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार 15 लोगों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

☐ तिनसुकिया (असम) में रात 8 बजे (21 दिसंबर) से सुबह 5 बजे (22 दिसंबर) और बुद्धिजीवियों के लिए कर्फ़्यू घोषित।

☐ 22 दिसंबर: अलीगढ़ में इंटरनेट बहाल

☐ धारावी और मलाड, मुंबई में प्रोटेस्ट मार्च

☐ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पतालों को 'सुरक्षित क्षेत्र' कहा है

☐ दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में प्रोटेस्ट

☐ एएमयू वीसी एक आदमी का न्यायिक पैनल का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीके गुप्ता (पूर्व सीजे, छत्ती. सगढ़ एचसी) 13–16 दिसंबर तक मामलों की जांच करेंगे

☐ यूपी के डिप्टी सीएम ने हिंसा के लिए 'बाहरी व्यक्ति' को दोषी ठहराया।

☐ यूपी डीजीपी 879 लोगों की गिरफ्तारी और 5000 लोगों की निवारक हिरासत की पुष्टि की। कुल 135 मामले दर्ज किए गए हैं और 288 पुलिस वाले घायल हुए हैं।

☐ नागपुर में आयोजित प्रो–सीएए रैली

☐ सीएए के विरोध के कारण उत्तराखंड अलर्ट पर रहा।

☐ प्रेस एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों के हमले और अनावश्यक उत्पीड़न की निंदा करता है।